

राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति, छत्तीसगढ़

भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

पर्यावास भवन, सेक्टर-19, नवा रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर (छ.म.)

ई-मेल : seiaacg@gmail.com

विषय:- राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की दिनांक 06/01/2021 को संपन्न 352वीं बैठक का कार्यवाही विवरण

—00—

राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 352वीं बैठक दिनांक 06/01/2021 को श्री धीरेन्द्र शर्मा, अध्यक्ष, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में समिति के निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया:-

1. डॉ. मोहन लाल अग्रवाल, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
2. श्री नीलेश्वर प्रसाद साहू, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
3. डॉ. एम.डब्ल्यू.वाय. खान, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
4. डॉ. विकास कुमार जैन, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
5. डॉ. दीपक सिन्हा, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
6. श्री कलदियुस तिकी, सदस्य सचिव, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति

श्री धीरेन्द्र शर्मा द्वारा विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की अध्यक्षता की गई एवं श्री अरविन्द कुमार गौरहा, सदस्य विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुये। समिति द्वारा एजेण्डा में सम्मिलित विषयों पर निम्नानुसार विचार किया गया:-

एजेण्डा आयटम क्रमांक-1: 348वीं, 349वीं, 350वीं एवं 351वीं बैठक क्रमशः दिनांक 07/12/2020, 08/12/2020, 09/12/2020 एवं 10/12/2020 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन।

राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 348वीं, 349वीं, 350वीं एवं 351वीं बैठक क्रमशः दिनांक 07/12/2020, 08/12/2020, 09/12/2020 एवं 10/12/2020 को संपन्न हुई थी। समिति द्वारा सर्वसम्मान से उक्त बैठकों के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया।



एजेन्डा आयटम क्रमांक-2: एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ से प्रेषित किये गये आवेदनों पर विचार कर निर्णय लिया जाना।

1. मेसर्स श्री बबलू साहू (कसडोल सेण्ड माईन, ग्राम-कसडोल, तहसील-तमनार, जिला-रायगढ़), ग्राम-तमनार, तहसील-तमनार, जिला-रायगढ़ (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1388)

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 172294 / 2020, दिनांक 11 / 09 / 2020।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्व से संचालित रेत खदान (गौण खनिज) है। यह खदान ग्राम-कसडोल, तहसील-तमनार, जिला-रायगढ़ स्थित खसरा क्रमांक 46, कुल लीज क्षेत्र 3.5 हेक्टेयर में है। उत्खनन पाझर नदी से किया जाता है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-16,000 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 342वीं बैठक दिनांक 08 / 10 / 2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई तथा नदी के पाट की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के अपस्ट्रीम तथा डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर गुणा 25 मीटर का ग्रिड बनाकर वर्तमान में रेत सतह के लेवलस (Levels) लेकर ग्रिड मैप में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किये जाये। इसके अतिरिक्त खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का भी सर्वे किया जाये। उक्त लेवलस (Levels) हेतु कम से कम 2 टेम्पररी बेंच मार्क (Concreted TBM structure) निर्धारित किये जायें। टेम्पररी बेंच मार्क (TBM) में आर.एल. को-ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अंकित किये जाये। ग्रिड मैप में टेम्पररी बेंच मार्क (TBM) को भी दर्शाकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जायें।
3. नदीतट से खदान की सीमा की दूरी न्यूनतम 7.5 मीटर या नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत (जो भी अधिक हो) रखी जानी है। यदि इसके अनुसार खदान के कुछ क्षेत्र में उत्खनन किया जाना संभव न हो तो उसकी गणना कर, नक्शे पर दर्शाकर, इसका उल्लेख माईनिंग प्लान में अनिवार्य रूप से कराया जाये। खदान के खनन क्षेत्र एवं प्रतिबंधित क्षेत्र को मौके पर खनिज विभाग से सीमांकन कराकर, प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाए।
4. प्रस्तावित स्थल से निकटतम पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति स्रोत की दूरी बाबत जानकारी प्रस्तुत की जाए। पुल / एनीकट की दूरी खदान के अपस्ट्रीम में न्यूनतम 500 मीटर तथा डाउनस्ट्रीम में न्यूनतम 250 मीटर रखा जाना आवश्यक है। यदि लीज क्षेत्र उपरोक्तानुसार दूरी के अंदर स्थित हो, तो उपरोक्त आधार पर खनन हेतु प्रतिबंधित क्षेत्र को आवश्यकतानुसार नक्शे पर चिन्हित कर, उसका मौके पर सीमांकन तथा माईनिंग प्लान में इस बाबत उल्लेख किया जाए।

5. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गढ़वा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया जाये।
6. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफस सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफस सहित प्रस्तुत की जाए।
7. विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
8. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।
9. खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को खदान में रेत के लेवलस (Levels) लेने वाले सर्वेयर (Surveyor) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफस) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 29/10/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 343वीं बैठक दिनांक 04/11/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री बबलू साहू, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नरती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र - रेत उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत कसडोल का दिनांक 06/04/2015 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. चिन्हांकित/सीमांकित - कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान चिन्हांकित/सीमांकित कर घोषित है।
3. उत्खनन योजना - माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला-रायगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 4103/ख.लि.-1/रेत/2020 रायगढ़, दिनांक 05/09/2020 द्वारा अनुमोदित है।
4. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान - कार्यालय कलेक्टर (खनि. शाखा), जिला-रायगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 4107/ख.लि.-1/2020 रायगढ़, दिनांक 05/09/2020 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य रेत खदानों की संख्या निरंक है।
5. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए - कार्यालय कलेक्टर (खनि. शाखा), जिला-रायगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 4109/ख.लि.-1/2020 रायगढ़, दिनांक 05/09/2020 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे अस्पताल, स्कूल, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग, पुल, बांध, एनिकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. एल.ओ.आई. का विवरण – एल.ओ.आई. श्री बबलू साहू के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-रायगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 3011/ख.लि.-1/रेत नीलामी/2020 रायगढ़, दिनांक 25/04/2020 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 2 वर्ष हेतु वैध है।
7. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी – निकटतम आबादी ग्राम-कसडोल 1.3 कि.मी. स्कूल ग्राम-कसडोल 1.3 कि.मी. एवं अस्पताल तमनार 5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राज्यमार्ग 6 कि.मी. दूर है। पुल खदान से 550 मीटर की दूरी पर केलो नदी पर स्थित है।
9. पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
10. खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी – आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – 56 मीटर तथा खनन स्थल की लंबाई – 610 मीटर एवं चौड़ाई – 56 मीटर दर्शाई गई है। खदान नदी तट से लगी हुई है, जबकि इसकी नदी तट से न्यूनतम दूरी 7.5 मीटर अथवा नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत होना चाहिए।
11. खदान स्थल पर रेत की मोटाई – आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 1.5 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 1 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार खदान में माईनेबल रेत की मात्रा – 16,000 घनमीटर है। रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत सतह की मोटाई जानने के लिए, प्रस्तावित स्थल पर 4 गड्ढे (Pits) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार रेत की उपलब्ध औसत मोटाई 1.4 मीटर है। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया गया है।
12. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:-
- पूर्व में सचिव, ग्राम पंचायत कसडोल के नाम से रेत खदान खसरा क्रमांक 46 क्षेत्रफल 3.5 हेक्टेयर, क्षमता – 35,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला-रायगढ़ को पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 28/10/2017 को जारी की गई।
 - पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। गाद अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई।
 - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-रायगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 4203/ख.लि.-1/रेत/2020 रायगढ़, दिनांक 16/09/2020 के अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	उत्पादन (घनमीटर)
2017-18	4,500

iv. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।

13. खदान क्षेत्र में रेत सतह के लेवलस – रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के चारों तरफ में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर गुणा 25 मीटर के ग्रिड बिन्दुओं पर दिनांक 15/06/2020 को रेत सतह के वर्तमान लेवलस (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं।
14. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
39.56	2%	0.79	Following activities at Nearby Government Primary School Village- Kasdol	
			Rain Water Harvesting System	0.50
			Potable Drinking water Facility	0.15
			Plantation with fencing	0.15
			Total	0.80

15. गैर माईनिंग क्षेत्र – नदी के पाट की चौड़ाई 56 मीटर है, जबकि खदान नदी तट से लगी हुई है। नये दिशा निर्देशों के अनुसार नदी तट से न्यूनतम 7.5 मीटर अथवा नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत दूरी तक के क्षेत्र में खनन नहीं किया जा सकता। माईनिंग प्लान के अनुसार नदी तट के किनारे से 10 प्रतिशत छोड़कर उत्खनन किया जाना प्रस्तावित है। संशोधित माईनिंग प्लान के अनुसार नदी तट से नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत की दूरी तक का क्षेत्र उत्खनन के लिए प्रतिबंधित किया गया है, जिसमें 1.6 हेक्टेयर गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है।
16. रेत उत्खनन मैनुअल विधि से एवं भराई का कार्य लोडर द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है।
17. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 1 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनःभरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आंकड़ों का समावेश नहीं किया गया है। पाझर नदी छोटी नदी है तथा इसमें वर्षाकाल में सामान्यतः 1 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनःभराव होने की संभावना है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. आवेदित खदान (ग्राम-कसडोल) का रकबा 3.5 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी-2 श्रेणी की मानी गयी।
2. वृक्षारोपण कार्य - प्राथमिकता के आधार पर नदी तट पर कुल 1,200 नग पौधे - 600 नग अर्जुन के पौधे तथा शेष 600 नग (जामुन, करज, बांस, आम आदि) पौधे लगाए जायेंगे। इसके अतिरिक्त पहुंच मार्ग पर 500 नग पौधे लगाए जायेंगे।
3. परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गाद अध्ययन (Siltation Study) करायेंगा, ताकि रेत के पुनःभरण (Replenishment) बाबत सही आंकड़े, रेत उत्खनन का नदी, नदीतल, स्थानीय वनस्पति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।
4. लीज क्षेत्र की सतह का बेसलाईन डाटा -
 - i. मानसून के बाद (अक्टूबर/नवम्बर माह में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) इन्ही गिड बिन्दुओं में माईनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित गिड बिन्दुओं पर किया जायेगा।
 - ii. इसी प्रकार रेत खनन उपरांत मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह/जून के प्रथम सप्ताह) इन्ही गिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवलस (Levels) का मापन किया जाएगा।
 - iii. रेत सतह के पूर्व निर्धारित गिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवलस (Levels) के मापन का कार्य आगामी 3 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। पोस्ट-मानसून के आंकड़ें दिसम्बर 2021, 2022, 2023 एवं प्री-मानसून के आंकड़ें अगस्त 2021, 2022, 2023 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे।
5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से श्री बबलू साहू, कसडोल सेण्ड माईनिंग, खसरा क्रमांक 46, ग्राम-कसडोल, तहसील-तमनार, जिला-रायगढ़, कुल लीज क्षेत्रफल 3.5 हेक्टेयर में से गैर माईनिंग क्षेत्र 19,000 वर्गमीटर क्षेत्र कम करने पर 1.6 हेक्टेयर क्षेत्र में, रेत उत्खनन अधिकतम 1 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 16,000 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने की अनुशंसा की गई। रेत की खुदाई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जाएगी। रिवर बेड (River Bed) में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गड्ढे (Excavation pits) से लोडिंग प्वाइंट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।
6. गैर माईनिंग क्षेत्र एवं अवशेष माईनिंग क्षेत्र का मौके पर खनिज विभाग से स्पष्ट सीमांकन कराने के उपरांत ही खनिज विभाग द्वारा उत्खनन की अनुमति दी जाएगी।
7. रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व उपरोक्तानुसार निर्धारित गिड बिन्दुओं पर नदी सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे कर (पोस्ट-मानसून), उसके आंकड़े तत्काल एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किये जाये।



प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 17/12/2020 को संपन्न 103वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया एवं पाया गया कि प्रस्तुत अनुमोदित माईनिंग प्लान में स्थल पर रेत की गहराई – 1.5 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 1 मीटर दर्शाई गई है तथा कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-रायगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 4108/ख.लि.-1/रेत/2020 रायगढ़, दिनांक 05/09/2020 के अनुसार खदान क्षेत्र में रेत की उपलब्ध औसत मोटाई 1.46 मीटर है। रेत उत्खनन 1 मीटर गहराई तक किये जाने से प्रस्तावित खनन क्षेत्र पर केवल 0.46 मीटर ही रेत शेष होगी। पर्यावरणीय दृष्टिकोण से नदी पर केवल 0.46 मीटर रेत की मोटाई कम प्रतिपादित होती है। अतः उक्त के परिपेक्ष्य में पर्यावरणीय दृष्टिकोण से रेत उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई को निर्धारित किये जाने हेतु पुनः विचार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त के परिपेक्ष्य में प्राधिकरण द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि उपरोक्त तथ्यों के आधार पर परीक्षण कर, उपयुक्त अनुशंसा किये जाने हेतु प्रकरण एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

(स) समिति की 352वीं बैठक दिनांक 06/01/2021:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत की वास्तविक गहराई हेतु प्रस्तुत पंचनामा के अनुसार प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में रेत की उपलब्ध औसत मोटाई 1.4 मीटर है। उक्त पंचनामा से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि 1.4 मीटर गहराई के नीचे रेत की उपलब्धता है अथवा नहीं? इस संबंध में स्थिति स्पष्ट किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में बैड रॉक (Bed Rock) के ऊपर अवस्थित रेत की मोटाई संबंधी जानकारी (पंचनामा सहित) प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

2. मेसर्स मोहरेंगा लाईन स्टोन माईन (प्रो.- श्री योगेन्द्र वर्मा), ग्राम-मोहरेंगा एवं खौलीडबरी, तहसील-तिल्दा, जिला-रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 709)

ऑनलाईन आवेदन – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 74583/2018, दिनांक 14/04/2018 द्वारा टी.ओ.आर हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 51289/2018, दिनांक 20/05/2020 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट हेतु आवेदन किया गया।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर खदान (मुख्य खनिज) है। खदान तहसील-तिल्दा, जिला-रायपुर स्थित ग्राम-मोहरेंगा खसरा क्रमांक 788/1 एवं 489 एवं ग्राम-खौलीडबरी, खसरा क्रमांक 738, 739, कुल लीज क्षेत्र 4.527 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 27,500 टन प्रतिवर्ष है।

पूर्व में एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 04/12/2018 द्वारा उल्लंघन का प्रकरण होने के कारण अधिसूचना का.आ. 1030 (अ) दिनांक 08/03/2018 के प्रावधानों के अनुसार इन्वॉयरोमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट, इन्वॉयरोमेंट मैनेजमेंट प्लान आदि तैयार करने हेतु भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2015 में प्रकाशित श्रेणी 1(ए) का स्टैंडर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माइनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु जारी किया गया। तत्पश्चात् एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 27/11/2019 द्वारा लोक सुनवाई सहित जारी स्टैंडर्ड टीओआर में लोक सुनवाई से छुट देते हुये टी.ओ.आर. में संशोधन जारी किया गया।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा फाइनल ई.आई.ए. रिपोर्ट दिनांक 20/05/2020 को प्रस्तुत किया गया है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 328वीं बैठक दिनांक 03/06/2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. जारी टीओआर में अतिरिक्त टीओआर के बिन्दुओं का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाए।
2. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
3. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 27/06/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 331वीं बैठक दिनांक 02/07/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री योगेन्द्र वर्मा, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 02/07/2020 के माध्यम से सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी माह की आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह के आयोजित बैठक में पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 25/08/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(स) समिति की 335वीं बैठक दिनांक 29/08/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री योगेन्द्र वर्मा, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। उनके द्वारा उपस्थित होकर पत्र दिनांक 29/08/2020 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से

समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी माह के आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह के आयोजित बैठक में पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 03/10/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(द) समिति की 339वीं बैठक दिनांक 05/10/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री योगेन्द्र वर्मा, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति के समक्ष परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुरोध किया गया कि समिति के समक्ष अपूर्ण जानकारी / दस्तावेज होने के कारणों से आज बैठक में प्रस्तुतीकरण दिया जाना संभव नहीं है। अतः उक्त आवेदन समिति की दिनांक 08/10/2020 को आयोजित बैठक में विचार किया जाए। समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को मान्य किया गया।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को आयोजित बैठक दिनांक 08/10/2020 में पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए एवं इस बाबत दूरभाष के माध्यम से सूचना दी जाए।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को दूरभाष के माध्यम से सूचित किया गया।

(इ) समिति की 342वीं बैठक दिनांक 08/10/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री योगेन्द्र वर्मा, प्रोपराईटर एवं सलाहकार के रूप में मेसर्स ओवरसीस माईनिंग-टेक कन्सलटेन्ट्स की ओर से सुश्री अंजली (विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से) उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र - ग्राम पंचायत मोहरेंगा द्वारा दिनांक 26/01/2004 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. उत्खनन योजना - रीव्यू ऑफ माईनिंग एण्ड प्रोग्रेसिव माइन क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो क्षेत्रीय खान नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर के पत्र क्रमांक 1093/चूप/खयो/2017/रायपुर दिनांक 23/05/2017 (अवधि 2017-18 से 2020-21 तक हेतु) द्वारा अनुमोदित है।
3. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 2197/ख.लि./तीन-6/2019 रायपुर, दिनांक 11/10/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य 1 खदान, क्षेत्रफल 689.648 हेक्टेयर (मेसर्स अल्ट्राटेक सीमेंट को सैद्धांतिक निर्णय लिया गया) है। आवेदित खदान (ग्राम-मोहरेंगा एवं खौलीडबरी) का रकबा 4.527 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से कम है।
4. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी - समीपस्थ आबादी ग्राम-मोहरेंगा 1.2 कि.मी. एवं ग्राम-खौलीडबरी 2.75 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। स्कूल ग्राम-मोहरेंगा

आगामी पांच वर्षों के लिए उत्खनन की योजना

वर्ष	उत्खनन (टन) ROM	उत्खनन (टन)
2017-2018	25,000	23,750
2018-2019	25,000	23,750
2019-2020	26,250	24,937
2020-2021	26,250	24,937
2021-2022	27,500	26,125

9. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 9 घनमीटर प्रतिदिन होगी। पेय जल की आपूर्ति बोरवेल के माध्यम से की जाएगी एवं अन्य उपयोग हेतु माईन वॉटर का उपयोग किया जाएगा। इस बाबत ग्राम पंचायत एवं सेंट्रल वाउंड वाटर अथॉरिटी से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना प्रस्तावित है।
10. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर (0.88 हेक्टेयर) क्षेत्र में 2,200 नम वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है।
11. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:-** पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
12. **ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण:-**

- **जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी** – मॉनिटरिंग कार्य मार्च से मई, 2019 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 7 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 7 स्थानों पर भू-जल गुणवत्ता मापन, 7 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 1 स्थलों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 7 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।
- **मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार** पी.एम_{2.5} 30.68 से 21.26 माईक्रोग्राम/घनमीटर, पी.एम₁₀ 65.62 से 52.34 माईक्रोग्राम/घनमीटर, एसओ₂ 13.54 से 7.24 माईक्रोग्राम/घनमीटर तथा एनओ_{एक्स} 16.96 से 8.12 माईक्रोग्राम/घनमीटर पाई गई है। परियोजना स्थल के आसपास जल स्रोतों की गुणवत्ता भारतीय मानक के अनुसार है। परिवेशीय ध्वनि स्तर (Day time) 50.9 डीबीए एवं ध्वनि स्तर (Night time) 41.5 डीबीए पाया गया।

13. पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु कार्ययोजना-

- I. परियोजना प्रस्तावक द्वारा Environmental Compensation हेतु निम्न फार्मुला के आधार पर गणना कर क्षतिपूर्ति राशि (Damage Cost) प्रस्तुत किया गया है:-

$$EC = PI \times N \times R \times S \times LF$$

Where,

EC - Environmental compensation in Rs.

PI - Pollution Index of Industrial Sector

N - Number of days of violation took place

R - a Factor in Rs. For EC

S - Factor for scale of operation

LF - Location Factor

$$\text{Environment Compensation} = \text{PlxNxRxLFxS}$$

$$\text{No of days(N)} = (250 \times \text{Violation Production}) / \text{Proposed Production in Mining Plan}$$

$$= (250 \times 4000) / 27,500 = 37$$

$$\text{Environment Compensation} = 80 \times 37 \times 170 \times 0.5 \times 0.5 = \text{Rs. } 1,25,800/-$$

$$= \text{say Rs. } 1,50,000/-$$

- II. समिति की पूर्व बैठक दिनांक 18/05/2020 को संपन्न 322वीं बैठक में Environmental Compensation के आंकलन की Methodology हेतु लिए गये निर्णय के अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत रेमेडियल प्लान एवं क्षतिपूर्ति राशि (Damage Cost) रुपये 1,50,000 की गणना को मान्य किया गया।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
2. जारी टीओआर में अतिरिक्त टीओआर के बिन्दु क्रमांक 5 के अनुसार शपथ पत्र (Affidavit) प्रस्तुत किया जाए।
3. समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा किए गए उल्लंघन के लिए Environment Compensation के रूप में राशि 1,50,000/- रुपये निर्धारित की गई। इसका उपयोग आस-पास के शासकीय स्कूल/महाविद्यालय/संस्थान में रेनवॉटर हार्वैस्टिंग व्यवस्था, सोलर पावर की व्यवस्था, पीने योग्य पानी की व्यवस्था एवं वृक्षारोपण किए जाने हेतु विस्तृत कार्ययोजना (प्रस्तावित स्कूल/ महाविद्यालय/ संस्थान का नाम, पता एवं कार्यवार खर्च का विवरण) प्रस्तुत किए जाने हेतु परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया जाए।
4. उपरोक्तानुसार प्रस्ताव तैयार कर 1,50,000/- रुपये की बैंक गारंटी एवं समयबद्ध कार्ययोजना का प्रस्ताव छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर में प्रस्तुत करने हेतु परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया जाए।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 07/11/2020 द्वारा बैंक गारंटी प्रस्तुत किये जाने हेतु सूचित किया गया।

(स) समिति की 346वीं बैठक दिनांक 07/11/2020:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) - परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
90	2%	1.80	Following activities at Government Primary & Middle School	

Village - Mohrenga	
Rain water harvesting	1.50
Potable drinking water facility	0.40
Running water facility for toilets	0.30
Plantation with fencing	0.20
Total	2.40

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा पुनः उल्लंघन नहीं किए जाने के संबंध में हलफनामा (Affidavit) प्रस्तुत किया गया है।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा किए गए उल्लंघन के लिए Environment Compensation के रूप में निर्धारित राशि 1,50,000/- रुपये का उपयोग शासकीय उच्चतर माध्यमिक स्कूल, ग्राम-मोहरेंगा में रेनवॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था, पीने योग्य पानी की व्यवस्था एवं वृक्षारोपण किए जाने हेतु विस्तृत कार्ययोजना प्रस्तुत की गई है।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के लिए निर्धारित राशि छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर में जमा करने की सूचना दी गई है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

- कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 2197/ख. लि./तीन-6/2019 रायपुर, दिनांक 11/10/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य 1 खदान, क्षेत्रफल 689.648 हेक्टेयर (मेसर्स अल्ट्राटेक सीमेंट को सैद्धांतिक निर्णय लिया गया) है। आवेदित खदान (ग्राम-मोहरेंगा एवं खौलीडबरी) का रकबा 4.527 हेक्टेयर है। प्रकरण उल्लंघन की श्रेणी का होने के कारण यह खदान बी-1 श्रेणी की मानी गयी।
- Environment Compensation Plan के तहत निर्धारित कार्य को 06 माह के भीतर पूर्ण किया जाए।
- समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक - श्री योगेन्द्र वर्मा (मेसर्स मोहरेंगा लाईन स्टोन माईन) की ग्राम-मोहरेंगा एवं खौलीडबरी, तहसील-तिल्दा, जिला-रायपुर स्थित ग्राम-मोहरेंगा खसरा क्रमांक 786/1 एवं 489 एवं ग्राम-खौलीडबरी, खसरा क्रमांक 738, 739, कुल क्षेत्रफल - 4.527 हेक्टेयर, चूना पत्थर (मुख्य खनिज) उत्खनन क्षमता-27,500 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के लिए निर्धारित राशि छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर में जमा करने की पुष्टि उपरांत पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी की जाए।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार - उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 17/12/2020 को संपन्न 103वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण के संज्ञान में यह तथ्य आया कि ग्राम-मोहरेंगा में इंदिरा प्रियदर्शिनी नेचर सफारी, मोहरेंगा वन क्षेत्र, खरोरा-तिल्दा मार्ग पर स्थित

है। लीज क्षेत्र की इंदिरा प्रियदर्शिनी नेचर सफारी से वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी वन विभाग से प्राप्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त के परिपेक्ष्य में प्राधिकरण द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि उपरोक्त तथ्यों के आधार पर पुनःपरीक्षण कर, उपयुक्त अनुशंसा किये जाने हेतु प्रकरण एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

(द) समिति की 352वीं बैठक दिनांक 06/01/2021:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. वनमण्डलाधिकारी, जिला-रायपुर द्वारा दूरभाष के द्वारा दी गई जानकारी अनुसार इंदिरा प्रियदर्शिनी नेचर सफारी का वैधानिक दर्जा (legal status), आरक्षित वन का है। समिति द्वारा गूगल अर्थ के माध्यम से लीज क्षेत्र के निकटतम बिन्दु (अक्षांश एवं देशांश) से इंदिरा प्रियदर्शिनी नेचर सफारी की दूरी का परीक्षण करने पर उक्त के बीच की निकटतम दूरी लगभग 326 मीटर है।
2. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर के पत्र दिनांक 15/12/2020 के माध्यम से निर्धारित राशि 1,50,000/- की बैंक गारंटी प्रस्तुत किये जाने की सूचना दी गई।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर समिति द्वारा विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से आवेदक - श्री योगेन्द्र वर्मा (मेसर्स मोहरेंगा लाईन स्टोन माईन) की ग्राम-मोहरेंगा एवं खौलीडबरी, तहसील-तिल्दा, जिला-रायपुर स्थित ग्राम-मोहरेंगा खसरा क्रमांक 786/1 एवं 489 एवं ग्राम-खौलीडबरी, खसरा क्रमांक 738, 739, कुल क्षेत्रफल - 4.527 हेक्टेयर, चूना पत्थर (मुख्य खनिज) उत्खनन क्षमता-27,500 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई। पूर्व में निर्धारित शर्तें यथावत् रहेगी।

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

3. मेसर्स श्री अमर प्रसाद (ग्राम-जोकारी, तहसील-कुनकुरी, जिला-जशपुर), ग्राम-चराईखांड, तहसील-दुलदुला, जिला-जशपुर को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति को मेसर्स एच.के.एस. कंस्ट्रक्शन कंपनी (पार्टनर- श्री रजनीकांत सिंह), पोस्ट-छाताबलिया, उत्तरप्रदेश के नाम पर हस्तांतरित (Transfer) किये जाने हेतु।

प्रस्ताव का विवरण -

1. यह खदान ग्राम-जोकारी, तहसील-कुनकुरी, जिला-जशपुर के खसरा क्रमांक 407/1, कुल लीज क्षेत्र 1.319 हेक्टेयर, साधारण पत्थर खदान (गौण खनिज) क्षमता-20,000 टन प्रतिवर्ष की है।
2. पूर्व में जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला-जशपुर के ज्ञापन दिनांक 28/01/2017 द्वारा उक्त क्षमता हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने की जानकारी दी गई है।


S. Manoj Kumar, Joint Secretary, Forest Dept., Chhattisgarh

3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति को मेसर्स एच.के.एस. कंस्ट्रक्शन कंपनी (पार्टनर- श्री रजनीकांत सिंह) के नाम पर नामांतरित किये जाने तथा विभिन्न दस्तावेजों में त्रुटिवश खसरा क्रमांक 407/1 के उल्लेख में संशोधन करते हुये खसरा क्रमांक 401/1 किये जाने हेतु दिनांक 24/06/2020 को पत्र प्रेषित किया गया है।
4. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-जशपुर के आदेश दिनांक 22/06/2020 द्वारा उक्त उत्खनन पट्टा का अंतरण मेसर्स एच.के.एस. कंस्ट्रक्शन कंपनी (पार्टनर- श्री रजनीकांत सिंह) के नाम पर करने संबंधी संशोधित आदेश जारी की गई है।
5. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-जशपुर के ज्ञापन क्रमांक /33ए/ख. लि./2020 जशपुर, दिनांक 20/05/2020 द्वारा पट्टा को मेसर्स एच.के.एस. कंस्ट्रक्शन कंपनी (पार्टनर- श्री रजनीकांत सिंह) के नाम पर अंतरित किये जाने बाबत आदेश जारी किया गया है। इस आदेश पत्र में खसरा क्रमांक 407/1 एकबा 1.319 हेक्टेयर उल्लेख है। तत्पश्चात् कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-जशपुर के ज्ञापन क्रमांक 115/ए/ख.लि./2020 जशपुर, दिनांक 22/06/2020 द्वारा मेसर्स एच.के.एस. कंस्ट्रक्शन कंपनी (पार्टनर- श्री रजनीकांत सिंह) के नाम पर अंतरित आदेश दिनांक 20/05/2020 में त्रुटि सुधार उपरांत खसरा क्रमांक 407/1 के स्थान पर खसरा क्रमांक 401/1 किये जाने हेतु संशोधित आदेश जारी किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार - उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 29/08/2020 को संपन्न 100वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/पत्र का अवलोकन किया गया। यह पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-जशपुर के संशोधित आदेश दिनांक 22/06/2020 में यथाया गया है कि:-

"ग्राम-जोकारी, तहसील-कुनकुरी, जिला-जशपुर के खसरा क्रमांक 401/1, रकबा 1.319 हेक्टेयर क्षेत्र में गौण खनिज साधारण पत्थर उत्खनिपट्टा (अर्वाधि दिनांक 14/10/2020 से 13/10/2030) श्री अमर प्रसाद के नाम पर स्वीकृत था, जिसका अंतरण अब मेसर्स एच.के.एस. कंस्ट्रक्शन कंपनी (पार्टनर- श्री रजनीकांत सिंह) को नामांतरित कर दिया गया है।"

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर प्राधिकरण द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) से निम्नानुसार जानकारी/दस्तावेज मंगायें जाने का निर्णय लिया गया था:-

1. जिला स्तरीय पर्यावरण सभाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की पुष्टि करते हुये सात्यापित प्रति प्रस्तुत की जाए।
2. विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
3. मेसर्स एच.के.एस. कंस्ट्रक्शन कंपनी (पार्टनर- श्री रजनीकांत सिंह) के नाम पर हस्तांतरित किये गये अंतरण नामांतरित (Lease Transfer) की प्रति प्रस्तुत की जाए।

4. जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में उल्लेखित लीज एवं क्षमता में परिवर्तन होने अथवा नहीं होने के संबंध में प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए।


तदनुसार कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) को एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 01/09/2020 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी / दस्तावेज दिनांक 20/10/2020 को प्रस्तुत किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 17/12/2020 को संपन्न 103वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/पत्र का अवलोकन किया गया। यह पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-जशपुर के ज्ञापन क्रमांक 244/ख.शा./2020 जशपुर, दिनांक 20/10/2020 के अनुसार प्रस्तुत जानकारी निम्नानुसार है:-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:- पूर्व में श्री अमर प्रसाद को साधारण पत्थर खदान खसरा क्रमांक 407/1, कुल क्षेत्रफल - 1.319 हेक्टेयर, क्षमता - 20,000 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण सभाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला-जशपुर द्वारा दिनांक 28/01/2017 को जारी की गई।
2. विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी निम्नानुसार है:-

वर्ष	खनिज उत्पादन मात्रा (घनमीटर)	वर्ष	खनिज उत्पादन मात्रा (घनमीटर)
2002	1,031	2012	120
2003	286	2013	187
2004	निरंक	2014	186
2005	146	2015	245
2006	20	2016	2,812.89
2007	308	2017	निरंक
2008	283	2018	31.3
2009	375	2019	3.81
2010	375	09/2020	100
2011	66		

3. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-जशपुर के ज्ञापन क्रमांक 33/ख.लि./2020 जशपुर, दिनांक 20/05/2020 द्वारा मेसर्स एच.के.एस. कन्स्ट्रक्शन कंपनी (पार्टनर- श्री रजनीकांत सिंह) के नाम पर हस्तांतरित किये गये अंतरण नामांतरित (Lease Transfer) की आदेश प्रति प्रस्तुत की गई है। प्रस्तुत आदेश में उल्लेख किया गया है कि "जिस पर कार्यालय के पत्र क्रमांक 33 दिनांक 20.05.2020 को अन्तरण स्वीकृति हेतु आदेशित किया गया है, जिसमें त्रुटिवश ख.न. 401/1 रकबा 1.319 हे. के स्थान पर ख.न. 407/1 रकबा 1.319 हे. दर्ज हो गया था। उक्त त्रुटि सुधार उपरान्त ख.न. 401/1 रकबा 1.319 हे. क्षेत्र पर छ.ग. गौण खनिज नियमावली 2015 के नियम 58 के अनुसार उपरोक्त पट्टे को शेष अवधि के लिए मेसर्स एच.के.एस. कन्स्ट्रक्शन कंपनी चराईडॉड तहसील दुलदुला साझेदार श्री साझेदार श्री रजनी कांत सिंह आ. स्व. शिवाजी सिंह पोस्ट बलिया उत्तरप्रदेश के पक्ष में निम्न शर्तों के साथ संशोधित अन्तरण /स्वीकृत किया जाता है।"



4. जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में उल्लेखित लीज एवं क्षमता में परिवर्तन नहीं होने के संबंध में प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है।

उपरोक्त के परिपेक्ष्य में प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया कि प्रस्ताव से यह प्रतीत होता है कि पूर्व में खसरा क्रमांक 407/1 में उत्खनन होने की संभावना है। अतः इसकी विवेचना के लिए प्रकरण का परीक्षण कर, उपयुक्त अनुशंसा किये जाने हेतु एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 352वीं बैठक दिनांक 06/01/2021:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-जशपुर को प्रकरण की मूल नस्ती प्रेषित किये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया जाए।
2. परियोजना प्रस्तावक को प्रकरण से संबंधी समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ आगामी आयोजित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

कार्यालय कलेक्टर एवं परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

4. मेसर्स श्री अक्षय कुमार मिश्रा (ग्राम-आरा, तहसील व जिला-जशपुर), तहसील व जिला-जशपुर को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति को मेसर्स विद्यासागर इन्फ्रास्ट्रक्चर (पार्टनर- श्री मुकेश कुमार जैन), तहसील व जिला-जशपुर के नाम पर हस्तांतरित (Transfer) किये जाने हेतु।

प्रस्ताव का विवरण - यह खदान ग्राम-आरा, तहसील व जिला-जशपुर के खसरा क्रमांक 1324/1, कुल लीज क्षेत्र 4 हेक्टेयर, साधारण पत्थर खदान (गौण खनिज) क्षमता-6.793.7 टन प्रतिवर्ष की है।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार - उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 17/12/2020 को संपन्न 103वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/पत्र का अवलोकन किया गया। यह पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-जशपुर के ज्ञापन क्रमांक 271/खनि.शा./2020 जशपुर, दिनांक 06/11/2020 के अनुसार प्रस्तुत जानकारी निम्नानुसार है:-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:- पूर्व में साधारण पत्थर खदान खसरा क्रमांक 1324/1, कुल क्षेत्रफल - 4 हेक्टेयर, क्षमता - 6.793.7 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला-जशपुर द्वारा दिनांक 15/03/2017 को जारी की गई।
2. उत्खनन योजना - माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला-रायगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 3932/ख.लि.-2/2016 रायगढ़, दिनांक 31/12/2016 द्वारा अनुमोदित है।

3. विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी निम्नानुसार है:-

वर्ष	खनिज उत्पादन मात्रा (घनमीटर)
2017	2,050
2018	1,950
2019	400
09/2020	145

4. खनि अधिकारी, जिला-जशपुर के द्वारा मेसर्स विद्यासागर इन्फ्रास्ट्रक्चर (पार्टनर- श्री मुकेश कुमार जैन) के नाम पर हस्तांतरित किये गये अंतरण नामांतरित (Lease Transfer) की आदेश प्रति प्रस्तुत की गई है।
5. श्री अक्षय कुमार मिश्रा द्वारा पूर्व में अनुमोदित माईनिंग प्लान को मेसर्स विद्यासागर इन्फ्रास्ट्रक्चर (पार्टनर- श्री मुकेश कुमार जैन) के नाम पर किये संबंध के में घोषणा पत्र प्रस्तुत किया गया है।
6. श्री अक्षय कुमार मिश्रा द्वारा नामांतरित (Lease Transfer) के संबंध में अनापत्ति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

उपरोक्त के परिपेक्ष्य में प्राधिकरण द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि उपरोक्त तथ्यों के आधार पर परीक्षण कर, उपयुक्त अनुशंसा किये जाने हेतु प्रकरण एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 352वीं बैठक दिनांक 06/01/2021:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

- कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-जशपुर को प्रकरण की मूल नस्ती प्रेषित किये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया जाए।
- परियोजना प्रस्तावक को प्रकरण से संबंधी समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफस) के साथ आगामी आयोजित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

कार्यालय कलेक्टर एवं परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

5. मेसर्स किरगी सोईल ऑर्डिनरी ब्ले क्वारी (प्रो.- श्री नरेश लाल तलरेजा), ग्राम-किरगी, तहसील-डोंगरगांव, जिला-राजनांदगांव (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 963बी)

आवेदन - पूर्व में प्रपोजल नम्बर - एसआईए /सीजी/एनआईएन/ 42449/2019, दिनांक 29/09/2019 को पर्यावरणीय स्वीकृति बाबत आवेदन किया गया था। वर्तमान में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 05/11/2020 को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन के लिए आवेदन किया गया है।

पूर्व बैठक का विवरण - यह पूर्व से संचालित मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम-किरगी, तहसील-डोंगरगांव, जिला-राजनांदगांव स्थित

खसरा क्रमांक 32, कुल क्षेत्रफल - 1.417 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) क्षमता-1528.21 घनमीटर प्रतिवर्ष के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था।

एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 13/05/2020 द्वारा ग्राम-किरगी, तहसील-डोंगरगांव, जिला-राजनांदगांव स्थित खसरा क्रमांक 32, कुल क्षेत्रफल - 1.417 हेक्टेयर मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) क्षमता - 1,528 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार - उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 17/12/2020 को संपन्न 103वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती तथा पत्र का अवलोकन किया गया एवं पाया कि परियोजना प्रस्तावक को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में उल्लेखित लीज अवधि में संशोधन बाबत अनुरोध किया गया है।

उपरोक्त के परिपेक्ष्य में प्राधिकरण द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि पत्र में उल्लेखित तथ्यों के आधार पर परीक्षण कर, उपयुक्त अनुशंसा किये जाने हेतु प्रकरण एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 352वीं बैठक दिनांक 06/01/2021:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा लेख किया गया है कि जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में लीज डीड की वैधता दिनांक 27/10/2024 तक उल्लेखित है, जबकि लीज डीड दिनांक 28/10/2024 से 27/10/2034 तक की अवधि हेतु विस्तारित है। अतः जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में लीज डीड की वैधता दिनांक 27/10/2034 तक किये जाने का अनुरोध किया गया है।
2. प्रस्तुत लीज डीड 10 वर्षों की दिनांक 28/10/2004 से 27/10/2014 तक की अवधि हेतु थी। लीज डीड का प्रथम नवीनीकरण दिनांक 28/10/2014 से 27/10/2024 तक की अवधि हेतु वृद्धि की गई। रत्नश्चात् दिनांक 14/02/2017 द्वारा लीज डीड 10 वर्षों की दिनांक 28/10/2024 से 27/10/2034 तक की अवधि वृद्धि की गई है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि कार्यवाही विवरण एवं पर्यावरणीय स्वीकृति में

“लीज का विवरण - लीज डीड श्री नरेश लाल तलरेजा के नाम पर है। लीज डीड 10 वर्षों अर्थात् दिनांक 28/10/2004 से 27/10/2014 तक की अवधि हेतु थी। लीज डीड का प्रथम नवीनीकरण दिनांक 28/10/2014 से 27/10/2024 तक की अवधि हेतु वृद्धि की गई है।”

के स्थान पर

“लीज का विवरण – लीज डीड श्री नरेश लाल तलरेजा के नाम पर है। लीज डीड 10 वर्षों अर्थात् दिनांक 28/10/2004 से 27/10/2014 तक की अवधि हेतु थी। लीज डीड के प्रथम नवीनीकरण में दिनांक 28/10/2014 से 27/10/2024 तक की अवधि हेतु वृद्धि की गई। तत्पश्चात् दिनांक 14/02/2017 द्वारा लीज डीड में 10 वर्षों की, दिनांक 28/10/2024 से 27/10/2034 तक की अवधि वृद्धि की गई है।”

पढ़ा जाये।

समिति द्वारा सर्वसम्मति से उपरोक्त आशय बाबत संशोधन जारी करने की अनुशंसा की गई।

6. मेसर्स श्री तरुण गांधी आर्दिनरी स्टोन क्वारी, ग्राम-हैदलकोडों, तहसील-छुरिया, जिला-राजनांदगांव (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 933)

आवेदन – पूर्ण में प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी/एमआईएन/40438/2019 दिनांक 01/08/2019 को पर्यावरणीय स्वीकृति बाबत आवेदन किया गया था। वर्तमान में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 19/11/2020 को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन के लिए आवेदन किया गया है।

पूर्व बैठक का विवरण – यह पूर्ण से संचालित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम-हैदलकोडों, तहसील-छुरिया, जिला-राजनांदगांव स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 532, कुल क्षेत्रफल – 2.024 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 50,000 टन प्रतिवर्ष (31,250 घनमीटर प्रतिवर्ष) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था।

एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 30/05/2020 द्वारा ग्राम-हैदलकोडों, तहसील-छुरिया, जिला-राजनांदगांव के पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 532 में स्थित साधारण पत्थर खदान (गौण खनिज), कुल क्षेत्रफल – 2.024 हेक्टेयर, उत्खनन क्षमता-50,000 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 17/12/2020 को सपन्न 103वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती तथा पत्र का अवलोकन किया गया एवं पाया कि परियोजना प्रस्तावक को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में उल्लेखित लीज अवधि में संशोधन बाबत अनुरोध किया गया है।

उपरोक्त के परिपेक्ष्य में प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि पत्र में उल्लेखित तथ्यों के आधार पर परीक्षण कर, उपयुक्त अनुशंसा किये जाने हेतु प्रकरण एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 352वीं बैठक दिनांक 06/01/2021:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई तथा नदी के पाट की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के अपस्ट्रीम तथा डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर गुणा 25 मीटर का ग्रिड बनाकर, वर्तमान में रेत सतह के लेवलस (Levels) लेकर ग्रिड मैप में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किये जाये। इसके अतिरिक्त खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का भी सर्वे किया जाये। उक्त लेवलस (Levels) हेतु कम से कम 2 टेंपेरी बेंच मार्क (Concreted TBM structure) निर्धारित किये जायें। टेंपेरी बेंच मार्क (TBM) में आर.एल., को-ऑर्डिनेटस (Co-ordinates) अंकित किये जाये। ग्रिड मैप में टेंपेरी बेंच मार्क (TBM) को भी दर्शाकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफस सहित जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जायें।
3. नदीतट से खदान की सीमा की दूरी न्यूनतम 7.5 मीटर या नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत (जो भी अधिक हो) रखी जानी है। यदि इसके अनुसार खदान के कुछ क्षेत्र में उत्खनन किया जाना संभव न हो तो उसकी गणना कर, नक्शे पर दर्शाकर, इसका उल्लेख माईनिंग प्लान में अनिवार्य रूप से कराया जाये। खदान के खनन क्षेत्र एवं प्रतिबंधित क्षेत्र को मौके पर खनिज विभाग से सीमांकन कराकर, प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाए।
4. प्रस्तावित स्थल से निकटतम पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति स्रोत की दूरी बाबत जानकारी प्रस्तुत की जाए। पुल / एनीकट की दूरी खदान के अपस्ट्रीम में न्यूनतम 500 मीटर तथा डाउनस्ट्रीम में न्यूनतम 250 मीटर रखा जाना आवश्यक है। यदि लीज क्षेत्र उपरोक्तानुसार दूरी के अंदर स्थित हो, तो उपरोक्त आधार पर खनन हेतु प्रतिबंधित क्षेत्र को आवश्यकतानुसार नक्शे पर चिन्हित कर, उसका मौके पर सीमांकन तथा माईनिंग प्लान में इस बाबत उल्लेख किया जाए।
5. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया जाये।
6. यदि पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफस सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफस सहित प्रस्तुत की जाए।
7. विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
8. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।
9. खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को खदान में रेत के लेवलस (Levels) लेने वाले सर्वेयर (Surveyor) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में



उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफस) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 02/12/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 348वीं बैठक दिनांक 07/12/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री जितेन्द्र कुमार मण्डल, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि प्रस्तुतीकरण हेतु तैयारी अपूर्ण होने के कारण समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया जाना संभव नहीं है। अतः आगामी माह के आयोजित बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु समय दिये जाने का अनुरोध किया गया।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह के आयोजित बैठक में पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 02/01/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(स) समिति की 352वीं बैठक दिनांक 06/01/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री जितेन्द्र कुमार मण्डल, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई—

1. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र — रेत उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत चवेला का दिनांक 17/05/2015 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. चिन्हांकित/सीमांकित — कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान चिन्हांकित/सीमांकित कर घोषित है।
3. उत्खनन योजना — माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला-उ.ब. कांकर के ज्ञापन क्रमांक 688/खनिज/उत्ख.यो.अनु./रेत/2020-21 कांकर, दिनांक 14/10/2020 द्वारा अनुमोदित है।
4. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान — कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-उ.ब. कांकर के ज्ञापन क्रमांक 689(सी)/खनिज/रेत(मूल)/2020-21 कांकर, दिनांक 14/10/2020 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य रेत खदानों की संख्या निरंक है।
5. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएँ — कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-उ.ब. कांकर के ज्ञापन क्रमांक 689(बी)/खनिज/रेत(मूल)/2020-21 कांकर, दिनांक 14/10/2020 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे अस्पताल, स्कूल, पुल, बाघ, एनीकट, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. लीज डीड का विवरण - लीज श्रीमती प्रतिभा कटरे के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-उत्तर बस्तर कांकेर द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 2 वर्ष हेतु वैध है।
7. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट - वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी - निकटतम आबादी ग्राम-घवेल 2.5 कि.मी., स्कूल एवं अस्पताल भानुप्रतापपुर 5.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 2.5 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 2.1 कि.मी. दूर है। पुल खदान से 550 मीटर एवं एनीकट 235 मीटर की दूरी पर अपस्ट्रीम में स्थित है।
9. पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र - परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
10. खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी - आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई - अधिकतम 180 मीटर, न्यूनतम 65 मीटर तथा खनन स्थल की लंबाई - 760 एवं चौड़ाई - अधिकतम 81 मीटर, न्यूनतम 35 मीटर दर्शाई गई है। खदान की नदी तट के किनारे से दूरी अधिकतम 18 मीटर, न्यूनतम 3 मीटर है, जबकि इसकी नदी तट से न्यूनतम दूरी 7.5 मीटर अथवा नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत होना चाहिए।
11. खदान स्थल पर रेत की मोटाई - आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई - 1.5 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई - 1 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार खदान में माईनेबल रेत की मात्रा - 32.670 घनमीटर है। रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत सतह की मोटाई जानने के लिए, प्रस्तावित स्थल पर गड्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार रेत की उपलब्ध औसत मोटाई 1.5 मीटर से 2 मीटर है। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया गया है।
12. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:-
- पूर्व में सरपंच, ग्राम पंचायत घवेल के नाम से रेत खदान खसरा क्रमांक 521/11, क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर, क्षमता-75,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला-उत्तर बस्तर कांकेर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 20/07/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति 3 वर्ष तक की अवधि हेतु जारी की गई थी।
 - एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 27/11/2019 द्वारा सरपंच, ग्राम पंचायत घवेल को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति को श्रीमती प्रतिभा कटरे के नाम पर हस्तांतरण किया गया है।
 - पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। नाद अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई।

- iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-उ.व. कांकर के ज्ञापन क्रमांक 992/खनिज/रेत(मूल)/2020-21 कांकर, दिनांक 15/10/2020 के अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	उत्पादन (घनमीटर)
2017-18	7.826
2018-19	निरंक
2019-20	3.371
2020-21	3.642

- v. वर्तमान में 750 नग वृक्षारोपण किया गया है। निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।

13. खदान क्षेत्र में रेत सतह के लेवलस - रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के चारों तरफ में 100 मीटर की दूरी तक, 40 मीटर गुणा 40 मीटर के गिड बिन्दुओं पर दिनांक 20/06/2020 का प्री-मानसून लेवलस (Levels) लेकर, फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है। रेत सतह के वर्तमान लेवलस हेतु दिनांक 06/09/2020 का लेवलस (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है। समिति द्वारा नोट किया गया कि रेत सतह के वर्तमान लेवलस हेतु दिनांक 06/09/2020 को लिए गये लेवलस (Levels) पोस्ट-मानसून डाटा मान्य नहीं किया जा सकता है। अतः रेत उत्खनन के पूर्व रेत सतह के वर्तमान लेवलस (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।
14. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) - परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
17.77	2%	0.35	Following activities at Nearby Government Primary School Village- Chavela	
			Rain Water Harvesting System	0.70
			Total	0.70

15. गैर माईनिंग क्षेत्र -

- i. नदी के पाट की चौड़ाई अधिकतम 180 मीटर, न्यूनतम 65 मीटर है, जबकि खदान नदी तट के किनारे अधिकतम 18 मीटर, न्यूनतम 3 मीटर है। नदी दिशा निर्देशों के अनुसार नदी तट से न्यूनतम 7.5 मीटर अथवा नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत दूरी तक के क्षेत्र में खनन नहीं किया जा सकता। माईनिंग प्लान के अनुसार नदी तट के किनारे से खनन क्षेत्र की

- दूरी नदी के पाट की चौड़ाई से न्यूनतम 7.5 मीटर छोड़कर उत्खनन किया जाना प्रस्तावित है, जिसमें 5,490 वर्गमीटर गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है।
- ii. एनीकट खदान से 235 मीटर की दूरी अपस्ट्रीम में स्थित है। नये गाइडलाइन अनुसार एनीकट अपस्ट्रीम में स्थित होने के कारण खदान से एनीकट की दूरी कम से कम 500 मीटर होना आवश्यक है। अतः एनीकट की तरफ से खदान से 265 मीटर लंबाई का खनन क्षेत्र को खनन के लिए प्रतिबंधित किया गया है। उपरोक्तानुसार माईनिंग प्लान अनुसार 11,840 वर्गमीटर गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है।
 - iii. उपरोक्तानुसार माईनिंग प्लान में कुल गैर माईनिंग क्षेत्र 17,330 वर्गमीटर प्रस्तावित किया गया है। अतः रेत उत्खनन का कार्य खदान के अवशेष 3.267 हेक्टेयर क्षेत्र में किया जाना प्रस्तावित है।
16. रेत की वास्तविक गहराई हेतु प्रस्तुत पंचनामा के अनुसार प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में रेत की उपलब्ध औसत मोटाई 1.5 मीटर से 2 मीटर है। उक्त पंचनामा से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि उत्खनन क्षेत्र में 1.5 मीटर से 2 मीटर गहराई के नीचे रेत की उपलब्धता है अथवा नहीं? अतः इस संबंध में स्थिति स्पष्ट किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में बैड रॉक (Bed Rock) के ऊपर अवस्थित रेत की मोटाई संबंधी जानकारी (पंचनामा सहित) प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

2. मेसर्स श्री आशीष कुमार अग्रवाल (तिल्दा सेण्ड माईन, ग्राम-तिल्दा, तहसील-बलौदाबाजार, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा), अग्रसेन नगर वार्ड नं. 3, अकलतरा, जिला-जांजगीर-चांपा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1482) ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए / सीजी / एमआईएन / 185983 / 2020, दिनांक 02 / 12 / 2020।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्व से संघालित रेत खदान (गौण खनिज) है। यह खदान ग्राम-तिल्दा, तहसील-बलौदाबाजार, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा स्थित खसरा क्रमांक 2099, कुल क्षेत्रफल - 2.02 हेक्टेयर में है। उत्खनन महानदी से किया जाता है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता - 39,600 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 351वीं बैठक दिनांक 10 / 12 / 2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. ग्राम पंचायत के अनापत्ति प्रमाण पत्र की पठनीय प्रति (बैठक दिनांक सहित) प्रस्तुत की जाए।
2. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई तथा नदी के पाट की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।


3. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के अपस्ट्रीम तथा डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर गुणा 25 मीटर का ग्रिड बनाकर, वर्तमान में रेत सतह के लेवलस (Levels) लेकर ग्रिड मैप में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किये जाये। इसके अतिरिक्त खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का भी सर्वे किया जाये। उक्त लेवलस (Levels) हेतु कम से कम 2 टेम्पररी बेंच मार्क (Concreted TBM structure) निर्धारित किये जाये। टेम्पररी बेंच मार्क (TBM) में आर.एल. को-ऑर्डिनेटस (Co-ordinates) अंकित किये जाये। ग्रिड मैप में टेम्पररी बेंच मार्क (TBM) को भी दर्शाकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफस सहित जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जायें।
4. नदीतट से खदान की सीमा की दूरी न्यूनतम 7.5 मीटर या नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत (जो भी अधिक हो) रखी जानी है। यदि इसके अनुसार खदान के कुछ क्षेत्र में उत्खनन किया जाना संभव न हो तो उसकी गणना कर, नक्शे पर दर्शाकर, इसका उल्लेख माईनिंग प्लान में अनिवार्य रूप से कराया जाये। खदान के खनन क्षेत्र एवं प्रतिबंधित क्षेत्र को मौके पर खनिज विभाग से सीमांकन कराकर, प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाए।
5. प्रस्तावित स्थल से निकटतम पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति स्रोत की दूरी बाबत जानकारी प्रस्तुत की जाए। पुल / एनीकट की दूरी खदान के अपस्ट्रीम में न्यूनतम 500 मीटर तथा डाउनस्ट्रीम में न्यूनतम 250 मीटर रखा जाना आवश्यक है। यदि लीज क्षेत्र उपरोक्तानुसार दूरी के अंदर स्थित हो, तो उपरोक्त आधार पर खनन हेतु प्रतिबंधित क्षेत्र को आवश्यकतानुसार नक्शे पर चिन्हित कर उसका मौके पर सीमांकन तथा माईनिंग प्लान में इस बाबत उल्लेख किया जाए।
6. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया जाये।
7. पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफस सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफस सहित प्रस्तुत की जाए।
8. विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
9. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।
10. खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को खदान में रेत के लेवलस (Levels) लेने वाले सर्वेयर (Surveyor) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफस) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 02/01/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 352वीं बैठक दिनांक 06/01/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री पराम बड़े, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** - रेत उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत तिल्दा का दिनांक 05/10/2008 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. **विन्हांकित/सीमांकित** - कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान विन्हांकित/सीमांकित कर घोषित है।
3. **उत्खनन योजना** - माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (ख.प्रशा.), जिला-विलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 1646/खनि/रेत/उत्खनन प्लान/2020 विलासपुर, दिनांक 25/11/2020 द्वारा अनुमोदित है।
4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा के ज्ञापन क्रमांक 3683 बलौदाबाजार, दिनांक 01/12/2020 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य रेत खदानों की संख्या निरंक है।
5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएँ** - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा के ज्ञापन क्रमांक 3682 बलौदाबाजार, दिनांक 01/12/2020 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे अस्पताल, स्कूल, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
6. **लीज डीड का विवरण** - लीज श्री आशीष कुमार अग्रवाल के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा द्वारा जारी की गई जिसकी अवधि दिनांक 17/10/2019 से 16/10/2021 तक वैध है।
7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** - वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** - निकटतम आबादी तिल्दा 0.6 कि.मी., स्कूल तिल्दा 0.6 कि.मी. एवं अस्पताल लवान 6 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1.6 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 3.4 कि.मी. दूर है। स्वीकृत रेत खदान के 1 कि.मी. की दूरी तक पुल/एनीकट स्थित नहीं है।
9. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** - परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
10. **खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी** - आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई - अधिकतम 606 मीटर, न्यूनतम 594 मीटर तथा खनन स्थल की लंबाई - अधिकतम 156



मीटर, न्यूनतम 150 मीटर एवं औसत चौड़ाई - 132 मीटर दर्शाई गई है। खदान की नदी तट के किनारे से दूरी 10 मीटर है, जबकि इसकी नदी तट से न्यूनतम दूरी 7.5 मीटर अथवा नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत होना चाहिए।

11. खदान स्थल पर रेत की मोटाई - आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई - 4 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई - 3 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार खदान में माईनेबल रेत की मात्रा - 39,600 घनमीटर है। रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत सतह की मोटाई जानने के लिए, प्रस्तावित स्थल पर 2 गड्ढे (Pits) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार रेत की उपलब्ध औसत मोटाई 4 मीटर है। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया गया है।

12. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:-

i. पूर्व में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत बलौदाबाजार (ग्राम-तिल्दा) के नाम से रेत खदान खसरा क्रमांक 2099, क्षेत्रफल 2.02 हेक्टेयर, क्षमता - 47,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा को द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 14/02/2017 के द्वारा जारी दिनांक से 3 वर्ष तक की अवधि हेतु जारी की गयी थी।

ii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। गाद अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई। रेत खनन उपरांत प्री-मानसून सर्वे दिनांक 18/02/2020 एवं मानसून के बाद दिनांक 14/10/2020 को पूर्व में निर्धारित गिड बिन्दुओं पर लिए गये रेत सतह के लेवलस (Levels) को गिड मैप में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किया गया है। जिससे अनुसार नदी में रेत का पुनःभरण हो रहा है।

iii. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा के ज्ञापन क्रमांक 3943/तीन-1/2021 बलौदाबाजार दिनांक 04/01/2021 के अनुसार विगत वर्षों में 26,000 घनमीटर रेत का उत्खनन किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि दिनांक 13/02/2020 तक उत्खनन कार्य बंद है।

iv. शर्तानुसार 200 नग वृक्षारोपण किया गया है।

13. खदान क्षेत्र में रेत सतह के लेवलस - रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के चारों तरफ में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर गुणा 25 मीटर के गिड बिन्दुओं पर दिनांक 14/10/2020 को रेत सतह के वर्तमान लेवलस (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफस सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं।

14. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) - परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
14.17	2%	0.28	Following activities at Nearby Government Primary School Village- Tilda	
			Rain Water Harvesting System	0.35
			Total	0.35

15. गैर माईनिंग क्षेत्र – नदी के पाट की चौड़ाई अधिकतम 606 मीटर, न्यूनतम 594 मीटर है, जबकि खदान नदी तट के किनारे 10 मीटर है। नये दिशा निर्देशों के अनुसार नदी तट से न्यूनतम 7.5 मीटर अथवा नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत दूरी तक के क्षेत्र में खनन नहीं किया जा सकता। माईनिंग प्लान के अनुसार नदी तट के किनारे से खनन क्षेत्र की दूरी नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत = 60.6 मीटर छोड़कर उत्खनन किया जाना प्रस्तावित है, जिसमें 7,000 वर्गमीटर गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है। अतः रेत उत्खनन का कार्य खदान के अवशेष 1.32 हेक्टेयर क्षेत्र में किया जाना प्रस्तावित है।
16. रेत उत्खनन मैनुअल विधि से एवं भराई का कार्य लोडर द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है।
17. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 3 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनःभरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आंकड़ों का समावेश नहीं किया गया है। महानदी बड़ी नदी है तथा इसमें वर्षाकाल में सामान्यतः 1.5 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनःभरण होने की संभावना है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. आवेदित खदान (ग्राम-तिल्दा) का रकबा 2.02 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी-2 श्रेणी की मानी गयी।
2. वृक्षारोपण कार्य – प्राथमिकता के आधार पर नदी तट पर कुल 800 नग पौधे – 400 नग अर्जुन के पौधे तथा शेष 400 नग (जामुन, करंज, बांस, आम आदि) पौधे लगाए जायेंगे। इसके अतिरिक्त पहुंच मार्ग पर 500 नग पौधे लगाए जायेंगे।
3. परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गाद अध्ययन (Siltation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनःभरण (Replenishment) नाबत सही आंकड़े, रेत उत्खनन का नदी, नदीतल, स्थानीय वनस्पति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।



4. लीज क्षेत्र की सतह का बेसलाईन डाटा -

- i. रेत खनन उपरांत मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह/जून के प्रथम सप्ताह) इन्ही गिड बिन्दुओं में माईनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित गिड बिन्दुओं पर किया जायेगा।
 - ii. इसी प्रकार मानसून के बाद (अक्टूबर/नवम्बर माह में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) इन्ही गिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवलस (Levels) का मापन किया जाएगा।
 - iii. रेत सतह के पूर्व निर्धारित गिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवलस (Levels) के मापन का कार्य आगामी 3 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। पोस्ट-मानसून के आंकड़ें दिसम्बर 2021, 2022, 2023 एवं प्री-मानसून के आंकड़ें अगस्त 2021, 2022, 2023 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे।
5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से श्री आशीष कुमार अग्रवाल, तिल्दा सेण्ड माईन, खसरा क्रमांक 2099, ग्राम-तिल्दा, तहसील-बलौदाबाजार, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा, कुल लीज क्षेत्रफल 2.02 हेक्टेयर में से गैर माईनिंग क्षेत्र 7,000 वर्गमीटर क्षेत्र कम करने 1.32 हेक्टेयर क्षेत्र में, रेत उत्खनन अधिकतम 1.5 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए कुल 19,800 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु परिशिष्ट-01 में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने की अनुशंसा की गई। रेत की खुदाई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जाएगी। रिवर बेड (River Bed) में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गड्ढे (Excavation pits) से लोडिंग प्वाइंट तक रेत का परिष्कृत ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।
6. गैर माईनिंग क्षेत्र एवं अवशेष माईनिंग क्षेत्र का मीके पर खनिज विभाग से स्पष्ट सीमांकन कराने के उपरांत ही खनिज विभाग द्वारा उत्खनन की अनुमति दी जाएगी।

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदनुसार सूचित किया जाए।

3. मेसर्स श्री आशीष चौहान (दंतेवाड़ा सेण्ड माईन, ग्राम-दंतेवाड़ा, तहसील व जिला-दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा), नकुलनार, जिला-दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा (राधेवालय का नस्ती क्रमांक 1408)

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए / सीजी / एमआईएन / 175738/2020, दिनांक 27/09/2020। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 06/10/2020 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 07/12/2020 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्व से संचालित रेत खदान (गैण खनिज) है। यह खदान ग्राम-दंतेवाड़ा, तहसील व जिला-दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा स्थित पार्ट ऑफ



खसरा क्रमांक 385, कुल क्षेत्रफल - 5 हेक्टेयर में है। उत्खनन अकिनी नदी से किया जाता है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता - 44,000 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 351वीं बैठक दिनांक 10/12/2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. एल.ओ.आई./लीज डीड की पठनीय प्रति प्रस्तुत की जाए।
2. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) द्वारा आवेदित खदान को जारी 500 मीटर एवं 200 मीटर प्रमाण पत्र (जाबक क्रमांक एवं दिनांक सहित) प्रस्तुत किया जाए।
3. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई तथा नदी के पाट की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
4. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के अपस्ट्रीम तथा डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर गुणा 25 मीटर का ग्रिड बनाकर वर्तमान में रेत सतह के लेवलस (Levels) लेकर ग्रिड मैप में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किये जाये। इसके अतिरिक्त खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का भी सर्वे किया जाये। उक्त लेवलस (Levels) हेतु कम से कम 2 टेम्पररी बेंच मार्क (Concreted TBM structure) निर्धारित किये जायें। टेम्पररी बेंच मार्क (TBM) में आर.एल. को-ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अंकित किये जाये। ग्रिड मैप में टेम्पररी बेंच मार्क (TBM) को भी दर्शाकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जायें।
5. नदीतट से खदान की सीमा की दूरी न्यूनतम 7.5 मीटर या नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत (जो भी अधिक हो) रखी जानी है। यदि इसके अनुसार खदान के कुछ क्षेत्र में उत्खनन किया जाना संभव न हो तो उसकी गणना कर, नक्शे पर दर्शाकर, इसका उल्लेख माईनिंग प्लान में अनिवार्य रूप से कराया जाये। खदान के खनन क्षेत्र एवं प्रतिबंधित क्षेत्र को मौके पर खनिज विभाग से सीमांकन कराकर, प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाए।
6. प्रस्तावित स्थल से निकटतम पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति स्रोत की दूरी बाबत जानकारी प्रस्तुत की जाए। पुल / एनीकट की दूरी खदान के अपस्ट्रीम में न्यूनतम 500 मीटर तथा डाउनस्ट्रीम में न्यूनतम 250 मीटर रखा जाना आवश्यक है। यदि लीज क्षेत्र उपरोक्तानुसार दूरी के अंदर स्थित हो, तो उपरोक्त आधार पर खनन हेतु प्रतिबंधित क्षेत्र को आवश्यकतानुसार नक्शे पर चिन्हित कर, उसका मौके पर सीमांकन तथा माईनिंग प्लान में इस बाबत उल्लेख किया जाए।
7. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया जाये।
8. पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई

हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफस सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफस सहित प्रस्तुत की जाए।

9. विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
10. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।
11. खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को खदान में रेत के लेवलस (Levels) लेने वाले सर्वेयर (Surveyor) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफस) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 02/01/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 352वीं बैठक दिनांक 06/01/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 06/01/2021 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी माह के आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को फरवरी माह के आयोजित बैठक में पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

4. मेसर्स श्री रंजय सिंह (सिपकोन्हा रोण्ड माईन, ग्राम-सिपकोन्हा, तहसील-पाटन, जिला-दुर्ग), कचना रोड, खम्हारीडीह, जिला-रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1027)

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 126041/2019, दिनांक 18/11/2019। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 05/12/2019 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 07/12/2019 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित रेत खदान (गौण खनिज) है। यह खदान ग्राम-सिपकोन्हा, तहसील-पाटन, जिला-दुर्ग स्थित खसरा क्रमांक 737, कुल लीज क्षेत्र 5 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन खारून नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-1,00,000 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

प्रस्ताव के साथ संलग्न मुख्य प्रमाण पत्र - परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत खदान (गौण खनिज) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन के साथ मुख्य रूप से निम्न प्रमाण पत्र संलग्न किये गये हैं:-

1. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र - रेत उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत सिपकोन्हा का अपठनीय अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. चिन्हांकित/सीमांकित - कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान चिन्हांकित/सीमांकित कर घोषित प्रस्तुत की गई है।
3. उत्खनन योजना - माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उपा संचालक (ख.प्र.), संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, छत्तीसगढ़ द्वारा अनुमोदित है। अनुमोदित क्लारी प्लान की जावक पत्र क्रमांक एवं दिनांक संबंधी जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।
4. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 1059/खनिज/ख.लि.3/रेत/2019 दुर्ग, दिनांक 24/10/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य रेत खदानों की संख्या निरंक है।
5. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 1059/खनिज/ख.लि.3/रेत/2019 दुर्ग, दिनांक 24/10/2019 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 500 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र नहीं है।
6. एल.ओ.आई. का विवरण - एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 909/खनिज/रेत(रिवर्स बीडिंग)/2019 दुर्ग, दिनांक 03/10/2019 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 2 वर्ष हेतु वैध है।
7. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट - वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी - निकटतम आबादी ग्राम-सिपकोन्हा 0.85 कि.मी. एवं स्कूल ग्राम-सिपकोन्हा 2 कि.मी. की दूरी पर स्थित है।
9. पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र - परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
10. आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई - 160 मीटर तथा खनन स्थल की चौड़ाई - 66 मीटर दर्शाई गई है।
11. आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई - 5 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई - 2 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार खदान में माईनेबल रेत की मात्रा - 1,00,000 घनमीटर है। नदीतट के किनारे में 10 मीटर छोड़ा गया है।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 304वीं बैठक दिनांक 12/12/2019:



समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण, तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. ग्राम पंचायत द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र (कार्यवाही बैठक सहित) की स्पष्ट/पठनीय प्रति प्रस्तुत किया जाए।
2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का ग्रिड बनाकर वर्तमान में रेत सतह के लेवलस (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जाए।
3. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए।
4. अनुमोदित माईनिंग प्लान का जाचक पत्र क्रमांक एवं दिनांक संबंधी जानकारी प्रस्तुत की जाए।
5. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
6. खनि निरीक्षक तथा परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह की बैठक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 13/01/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 306वीं बैठक दिनांक 17/01/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री रंजय सिंह, प्रोपराईटर एवं श्री दीपक तिवारी, खनि निरीक्षक उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का ग्रिड बनाकर वर्तमान में रेत सतह के लेवलस (Levels) की जानकारी तथा अन्य जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये है।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि रेत उत्खनन स्थल पर वर्तमान में जल भराव होने के कारण अद्यतन सर्वे रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाना संभव नहीं है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति निम्नानुसार से निर्णय लिया गया था:-

1. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का ग्रिड बनाकर, वर्तमान में रेत सतह के लेवलस (Levels) लेकर ग्रिड मैप में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किये जाये। उक्त लेवलस (Levels) हेतु कम से कम 2 टेम्पररी बेंच मार्क (Concreted TBM structure) निर्धारित किये जाये। टेम्पररी बेंच मार्क (TBM) में आर.एल. को-ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अंकित किये जाये। ग्रिड मैप में टेम्पररी बेंच मार्क (TBM) को भी दर्शाकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जाये।
2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक

गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए।
रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया जाये।

3. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई तथा नदी के पाट की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
4. यदि पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन रिधति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।
5. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
6. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम्. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
7. परिगोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया जाए।

परिगोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 09/06/2020 द्वारा जानकारियां/दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया। तदनुसार परिगोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 15/06/2020 को जानकारियां/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है।

(स) समिति की 332वीं बैठक दिनांक 03/07/2020:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. आवेदित खदान नवीन खदान होना बताया गया है।
2. खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी - आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई - अधिकतम 817 मीटर तथा खनन स्थल की लंबाई - 379 मीटर, औसतन चौड़ाई - 111 मीटर दर्शाई गई है। खदान की नदी तट से दूरी 51 मीटर है।
3. खदान क्षेत्र में रेत सतह के लेवलस - रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के चारों तरफ में 100 मीटर की दूरी तक, 40 मीटर गुणा 40 मीटर के ग्रिड बिन्दुओं पर दिनांक 12/06/2019 को रेत सतह के वर्तमान लेवलस (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं।
4. खदान स्थल पर रेत की मोटाई - रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा प्रस्तुत किया गया है, परंतु रेत की वास्तविक गहराई एवं पिट्स (Pits) का उल्लेख नहीं किया गया है।



5. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
25	2%	0.50	Following activities at Govt. Primary School Village-Sipkonha	
			Rain Water Harvesting System	0.46
			Running water facility for toilets & Plantation	0.14
			Total	0.60

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को खदान में रेत के लेवलस (Levels) लेने वाले सर्वेयर (Surveyor) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 25/08/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(द) समिति की 335वीं बैठक दिनांक 29/08/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री रंजय सिंह, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. **खदान स्थल पर रेत की मोटाई** – रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत सतह की मोटाई जानने के लिए, प्रस्तावित स्थल पर 5 गड्ढे (Pits) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार रेत की उपलब्ध औसत मोटाई 3.2 मीटर है। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया गया है।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान से पुल/एनीकट की दूरी, नदी की चौड़ाई, खदान की नदी तट से दूरी आदि संबंधी जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. पुल/एनीकट खदान से कितने दूरी (अपस्ट्रीम/डाउनस्ट्रीम) में स्थित है? नये गाईडलाइन अनुसार पुल/एनीकट की दूरी खदान के अपस्ट्रीम में न्यूनतम 500 मीटर तथा डाउनस्ट्रीम में न्यूनतम 250 मीटर रखा जाना आवश्यक है। साथ ही नदीतट से खदान की सीमा की दूरी न्यूनतम 7.5 मीटर या नदी के पाट की

वीडार्ई का 10 प्रतिशत (जो भी अधिक हो) रखी जानी है। खदान के कुछ क्षेत्र उक्त आवश्यक क्षेत्र नहीं छोड़ा गया है। अतः उपरोक्त क्षेत्र की गणना कर नक्शे पर दर्शाकर, इसका उल्लेख माईनिंग प्लान में कराकर प्रस्तुत की जाये। खदान के खनन क्षेत्र एवं प्रतिबंधित क्षेत्र को मौके पर खनिज विभाग से सीमांकन कराकर, प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाए।

2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के अपस्ट्रीम तथा डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर गुणा 25 मीटर का ग्रीड बनाकर, वर्तमान में रेत सतह के लेवलस (Levels) लेकर ग्रीड मैप में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किये जाये। इसके अतिरिक्त खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का भी सर्वे किया जाये। उक्त लेवलस (Levels) हेतु कम से कम 2 टेम्पररी बेंच मार्क (Concreted TBM structure) निर्धारित किये जायें। टेम्पररी बेंच मार्क (TBM) में आर.एल. को-ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अंकित किये जाये। ग्रीड मैप में टेम्पररी बेंच मार्क (TBM) को भी दर्शाकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जायें।
3. स्थल निरीक्षण के उपरांत सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
4. अनुमोदित क्यारी प्लान की जावक पत्र क्रमांक एवं दिनांक संबंधी जानकारी प्रस्तुत की जाए।
5. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 29/10/2020 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी / दस्तावेज दिनांक 03/12/2020 को प्रस्तुत किया गया है।

(इ) समिति की 351वीं बैठक दिनांक 10/12/2020:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण (प्रस्तावित स्कूल का नाम, पता एवं कार्यवार खर्च का विवरण) के साथ प्रस्तुत किया जाए।
2. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 02/01/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ई) समिति की 352वीं बैठक दिनांक 06/01/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री रंजय सिंह, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. एनीकट खदान से 250 मीटर की दूरी पर अपस्ट्रीम में स्थित है।



2. खदान क्षेत्र में रेत सतह के लेवलस - रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के चारों तरफ में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर गुणा 25 मीटर के गिड बिन्दुओं पर दिनांक 05/11/2020 को रेत सतह के वर्तमान लेवलस (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफस सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं।
3. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) - परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।
4. संशोधित उत्खनन योजना - संशोधित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (ख.प्र.), संचालनालय, भूमिकी तथा खनिकर्म, छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक /खनि02/रेत/संशो.मा.प्ल.अनु./न.क्र.314/2019 नवा रायपुर, दिनांक 26/11/2019 द्वारा अनुमोदित है। जिसके अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई - अधिकतम 195 मीटर, न्यूनतम 120 मीटर तथा खनन स्थल की औसत लंबाई - 650 मीटर एवं औसत चौड़ाई - 75 मीटर दर्शाई गई है। खदान की नदी तट के किनारे से दूरी अधिकतम 21 मीटर, न्यूनतम 12 मीटर है।
5. गैर माईनिंग क्षेत्र - परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित माईनिंग प्लान में एनीकट से खदान की दूरी 500 मीटर रखने एवं नदी तट से नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत दूरी के क्षेत्र को गैर माईनिंग क्षेत्र 3.22 हेक्टेयर रखा गया है। अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार 1.78 हेक्टेयर क्षेत्र में उत्खनन किया जाना प्रस्तावित है।
6. रेत उत्खनन मैनुअल विधि से एवं भराई का कार्य लीडर द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है।
7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 2 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनःभरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आंकड़ों का समावेश नहीं किया गया है। खारून नदी छोटी नदी है तथा इसमें वर्षाकाल में सामान्यतः 1 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनःभराव होने की संभावना है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया-

1. आवेदित खदान (ग्राम-सिपकोन्हा) का रकबा 5 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी-2 श्रेणी की मानी गयी।
2. वृक्षारोपण कार्य - प्राथमिकता के आधार पर नदी तट पर कुल 1,500 नग पौधे - 750 नग अर्जुन के पौधे तथा शेष 750 नग (जामुन, करंज, बांस, आम आदि) पौधे लगाए जायेंगे। इसके अतिरिक्त पहुंच मार्ग पर 750 नग पौधे लगाए जायेंगे।
3. परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गाद अध्ययन (Siltation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनःभरण (Replenishment) वास्तव सही आंकड़े, रेत उत्खनन का नदी, नदीतल, स्थानीय वनस्पति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों

पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।

4. लीज क्षेत्र की सतह का बेसलाइन डाटा -

- i. रेत खनन उपरांत मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह/जून के प्रथम सप्ताह) इन्हीं गिड बिन्दुओं में माईनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित गिड बिन्दुओं पर किया जायेगा।
 - ii. इसी प्रकार मानसून के बाद (अक्टूबर/नवम्बर माह में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) इन्हीं गिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवलस (Levels) का मापन किया जाएगा।
 - iii. रेत सतह के पूर्व निर्धारित गिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवलस (Levels) के मापन का कार्य आगामी 3 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। पोस्ट-मानसून के आंकड़ें दिसम्बर 2021, 2022, 2023 एवं प्री-मानसून के आंकड़ें अगस्त 2021, 2022, 2023 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे।
5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से श्री रंजय सिंह, सिपकोन्हा सेण्ड माईनिंग, खसरा क्रमांक 737, ग्राम-सिपकोन्हा, तहसील-पाटन, जिला-दुर्ग, कुल लीज क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर में से गैर माईनिंग क्षेत्र 32,200 वर्गमीटर क्षेत्र कम करने 1.78 हेक्टेयर क्षेत्र में, रेत उत्खनन अधिकतम 1 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 17,800 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु परिशिष्ट-02 में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने की अनुशंसा की गई। रेत की खुदाई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जाएगी। रिवर बेड (River Bed) में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गड्ढे (Excavation pits) से लोडिंग प्वाइंट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।
6. गैर माईनिंग क्षेत्र एवं अवशेष माईनिंग क्षेत्र का मौके पर खनिज विभाग से स्पष्ट सीमांकन कराने के उपरांत ही खनिज विभाग द्वारा उत्खनन की अनुमति दी जाएगी।

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

5. मेसर्स छिरालेवा कशर स्टोन क्वारी(ए) (प्रो.- श्री ध्रुव कुमार अग्रवाल), ग्राम-छिरालेवा, तहसील-बसना, जिला-महासमुंद (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1383)

ऑनलाइन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए / सीजी / एमआईएन / 56245 / 2020, दिनांक 04 / 09 / 2020।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम-छिरालेवा, तहसील-बसना, जिला-महासमुंद स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 97, कुल क्षेत्रफल-1 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-69.595.5 टन प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण -

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 02/12/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(स) समिति की 349वीं बैठक दिनांक 08/12/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 08/12/2020 द्वारा सूचना दी गयी है कि वांछित जानकारी अपूर्ण होने के कारण से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी माह के आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह के आयोजित बैठक में पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 02/01/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(द) समिति की 352वीं बैठक दिनांक 06/01/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा कोई अनुरोध पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी एवं अनुरोध पत्र प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

6. मेरास श्री प्रशांत सिंह (सलिहा साईल/आर्डिनरी क्ले क्वारी), ग्राम-सलिहा, तहसील-खैरागढ़, जिला-राजनांदगांव (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1080)

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 128570/2019, दिनांक 27/12/2019। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 07/01/2020 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 19/10/2020 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्व से संचालित मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम-सलिहा, तहसील-खैरागढ़, जिला-राजनांदगांव स्थित खसरा क्रमांक 252, 268, 263, 255/3, 279, 267, 262, 250, 270, 260/2, 278, 264, 260, 248, 255/1, 255/2, 266, 253, 269, 265, 261/1, 257, 258, 272, 276/1, 259, 287, 276/2, 286, 273, 305/1 एवं 305/2, कुल क्षेत्रफल - 3.589 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता - 1,800 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 348वीं बैठक दिनांक 07/11/2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-



1. पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही गृहकारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।
2. विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
3. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।
4. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 02/12/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 349वीं बैठक दिनांक 08/12/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 08/12/2020 द्वारा सूचना दी गयी है कि वांछित जानकारी अपूर्ण होने के कारण से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी माह के आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह के आयोजित बैठक में पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 02/01/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(स) समिति की 352वीं बैठक दिनांक 06/01/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री नरेश निषाद, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नरसी, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई—

1. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र — उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत पांडुका का दिनांक 08/11/2004 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. संशोधित उत्खनन योजना — संशोधित क्वारी प्लान (एलॉग विथ क्वारी क्लोजर प्लान एण्ड इन्हायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान) प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खनि. प्रशा.), जिला-रायपुर के ज्ञापन क्रमांक क./ख.लि./तीन-6/2017/3210 रायपुर, दिनांक 04/02/2017 द्वारा अनुमोदित है।
3. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान — कार्यालय कलेक्टर (खाने शाखा), जिला-राजनांदगांव के ज्ञापन, क्रमांक/475/ख.लि.03/2020 राजनांदगांव,

दिनांक 18/02/2020 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।

4. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएँ** - कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला-राजनादगांव के ज्ञापन क्रमांक/475/ख.लि. 03/2020 राजनादगांव, दिनांक 18/02/2020 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
5. **लीज का विवरण** - लीज श्री प्रशांत सिंह के नाम पर है, जिसकी अवधि 10 वर्ष हेतु अर्थात् दिनांक 15/01/2006 से 14/01/2016 तक थी। तत्पश्चात् 20 वर्षों अर्थात् दिनांक 15/01/2016 से 14/01/2036 तक की अवधि हेतु है।
6. **भू-स्वामित्व** - भूमि श्रीमती शारदा देवी के नाम पर है। उत्खनन हेतु सहमति पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।
7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** - वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** - कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, वनमण्डल खैरागढ़, जिला-राजनादगांव के ज्ञापन क्रमांक/मा.वि./न.क. 25/1120 खैरागढ़, दिनांक 17/03/2020 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन भूमि की सीमा से 11.88 कि.मी. की दूरी पर है।
9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** - निकटतम आबादी ग्राम-सलिहा 0.55 कि.मी., स्कूल सलिहा 1.5 कि.मी. एवं अस्पताल खैरागढ़ 0.8 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 35 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 9 कि.मी. दूर है। अमनेर नदी 0.06 कि.मी. दूर है।
10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** - परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** - जियोलॉजिकल रिजर्व 64,760 घनमीटर एवं साईनेबल रिजर्व 48,240 घनमीटर है। लीज की 1 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 848 वर्गमीटर है। नदी से न्यूनतम 100 मीटर छोड़े जाने के लिए 11,087 वर्गमीटर क्षेत्र को गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है। ओपन कास्ट मैनुअल विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 2 मीटर है। वर्तमान में 4,518 वर्गमीटर क्षेत्र में 2 मीटर गहराई तक उत्खनन किया जा चुका है। आगामी वर्षों में शेष 12,633 वर्गमीटर क्षेत्रफल में उत्खनन किया जाना प्रस्तावित है। बेंच की ऊंचाई 1 मीटर एवं चौड़ाई 1 मीटर है। खदान की संभावित आयु 17 वर्ष है। लीज क्षेत्र के भीतर 0.15 हेक्टेयर में क्षेत्र ईट निर्माण हेतु भट्ठा (क्लिन्) प्रस्तावित है, जिसकी फिक्स चिमनी की ऊंचाई 35 मीटर है। ईट निर्माण हेतु मिट्टी के साथ 60 प्रतिशत पलाई ऐश का उपयोग किया जाता है। एक लाख

ईट निर्माण हेतु 15 टन कोयला की आवश्यकता होती है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	गहराई (मीटर)	आयतन (घनमीटर)
प्रथम	1,460	2	2,920
द्वितीय	1,422	2	2,844
तृतीय	1,422	2	2,844
चतुर्थ	1,422	2	2,844
पंचम	1,427	2	2,854

आगामी वर्षों की उत्पादन योजना

वर्ष	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	गहराई (मीटर)	आयतन (घनमीटर)
छष्टम	1,455	2	2,910
सप्तम	1,440	2	2,880
अष्टम	1,455	2	2,910
नवम	1,415	2	2,830
दशम	1,400	2	2,800

12. जल आपूर्ति - परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 6 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति स्वयं की लगी हुई भूमि में एकत्र जल से की जाती है।
13. वृक्षारोपण कार्य - लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 1 मीटर की पट्टी में 420 नग वृक्षारोपण किया जाएगा तथा नदी तट से 100 मीटर की दूरी बनाये रखने के लिए गैर माईनिंग क्षेत्र 11,087 वर्गमीटर क्षेत्र में 2,770 नग मिश्रित प्रजाति के पौधे रोपित किये जाएंगे। इस प्रकार कुल 3,190 नग पौधों का रोपण वर्ष 2021 की वर्षा ऋतु में किया जाएगा।
14. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:-
 - i. पूर्व में मिट्टी खदान खसरा क्रमांक 252, 268, 263, 255/3, 279, 267, 262, 250, 270, 261/2, 278, 264, 260, 248, 255/1, 255/2, 266, 253, 269, 265, 261/1, 257, 258, 272, 276/1, 259, 287, 276/2, 286, 273, 305/1 एवं 305/2, क्षेत्रफल 3.589 हेक्टेयर, क्षमता-1,800 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला-राजनांदगांव द्वारा दिनांक 09/03/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति दिनांक 31/03/2020 तक की अवधि हेतु जारी की गई।
 - ii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है।
 - iii. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।
 - iv. कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला-राजनांदगांव को ज्ञापन क्रमांक 6013/ख.लि.-03/2020 राजनांदगांव, दिनांक 07/12/2020 के अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है-

वर्ष	वास्तविक उत्खनन (टन)	वर्ष	वास्तविक उत्खनन (टन)
2006-07	1,108	2014-15	3,720
2007-08	3,316	2015-16	6,920
2008-09	1,500	2016-17	-
2009-10	1,904	2017-18	1,784
2010-11	1,624	2018-19	1,700
2011-12	3,900	2019-20	1,750
2012-13	3,330	2020-21	-
2013-14	2,570	(30 जून 2020 तक)	-

15. परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज का कुल क्षेत्रफल 3.238 हेक्टेयर है, जबकि आवेदन में त्रुटिवश क्षेत्रफल 3.589 हेक्टेयर का उल्लेख हो गया है। इसी प्रकार आवेदन में ईट उत्पादन क्षमता - 15,00,000 नग प्रतिवर्ष का उल्लेख नहीं किया गया है। जबकि माईनिंग प्लान में उक्त का समावेश किया गया है। अतः आवेदन क्षेत्रफल 3.238 हेक्टेयर, क्षमता - 1,800 घनमीटर (ईट उत्पादन क्षमता - 15,00,000 नग) प्रतिवर्ष हेतु मान्य किये जाने का अनुरोध किया गया है, जिसे समिति द्वारा मान्य किया गया है।
16. माननीय एन.जी.टी. प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:-
- a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
- b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.
17. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) - परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
32	2%	0.64	Following activities at Nearby Government Primary School Village- Saliha	
			Rain Water Harvesting System	0.32
			Running water facility for Toilets	0.20

		Plantation	0.12
		Total	0.64

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला-राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक/475/ख.लि.03/2020 राजनांदगांव, दिनांक 18/02/2020 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है। आवेदित खदान (ग्राम-सलिहा) का रकबा 3.238 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी-2 श्रेणी की मानी गयी।
2. आवेदक द्वारा खदान की सीमा पट्टी में 420 नग पौधे तथा नदी की तरफ छोड़े गये गैर माईनिंग क्षेत्र में 2770 नग मिश्रित प्रजाति के पौधे रोपित किये जाएंगे।
3. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक - मेसर्स श्री प्रशांत सिंह (सलिहा सॉईल/आर्डिनरी क्ले क्वारी) की ग्राम-सलिहा, तहसील-खैरागढ़, जिला-राजनांदगांव के खसरा क्रमांक 252, 268, 263, 255/3, 279, 267, 262, 250, 270, 260/2, 278, 264, 260, 248, 255/1, 255/2, 268, 253, 269, 265, 261/1, 257, 258, 272, 276/1 259, 287, 276/2, 286, 273, 305/1 एवं 305/2 में स्थित मिट्टी (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल - 3.238 हेक्टेयर, क्षमता - 1,800 घनमीटर (ईंट उत्पादन क्षमता - 15,00,000 नग) प्रतिवर्ष हेतु परिशिष्ट-03 में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

7. मेसर्स श्री नित्यानंद पाठक (खैरा स्टोन क्वारी), ग्राम-खैरा, तहसील-रामानुजनगर, जिला-सूरजपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1427) ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए /सीजी /एमआईएन / 179586/2020, दिनांक 20/10/2020।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्व से संचालित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम-खैरा, तहसील-रामानुजनगर, जिला-सूरजपुर स्थित खसरा क्रमांक 357, कुल क्षेत्रफल-1.3 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-10,519.6 टन प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 346वीं बैठक दिनांक 07/11/2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन

हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 21/10/2020 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम-कलकसा, तहसील-खैरागढ़, जिला-राजनांदगांव स्थित खसरा क्रमांक 240/2 एवं 241, कुल क्षेत्रफल-0.647 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-5,000 टन प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 346वीं बैठक दिनांक 07/11/2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. प्रस्तुत 500 मीटर के प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि उक्त खदानों के 500 मीटर के भीतर अन्य खदान है अथवा नहीं? ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) में परिभाषित क्लस्टर अनुसार "कोई क्लस्टर उस समय बनाया जाएगा, जब एक लीज के परिसरों के बीच दूरी उस सदृश खनिज क्षेत्र में अन्य पट्टे के परिसर से 500 मीटर से कम है।" अर्थात् क्लस्टर हेतु होमोजिनियस मिनरल क्षेत्र में विचाराधीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के भीतर आने वाले सभी खदानों को शामिल करते हुए तथा इस प्रकार शामिल खदानों के लीज सीमा के 500 मीटर के भीतर आने वाले अन्य सभी खदानों को (क्लस्टर में खदानों को वहाँ तक शामिल किया जाए, जहाँ तक 500 मीटर की दूरी में कोई खदान अवस्थित न हो) शामिल किया जाना चाहिए। अतः उपरोक्तानुसार प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
2. पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।
3. विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
4. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।
5. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 02/12/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 350वीं बैठक दिनांक 09/12/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 08/12/2020 द्वारा सूचना दी गयी है कि वांछित जानकारी अपूर्ण होने के कारण से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है।

अतः आगामी माह के आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है। समिति द्वारा अनुरोध को मान्य किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह के आयोजित बैठक में पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 02/01/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(स) समिति की 352वीं बैठक दिनांक 06/01/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री धनश्याम मंगवानी, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत बवईटोला का दिनांक 07/08/2012 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. उत्खनन योजना – माईनिंग प्लान (क्वारी कम इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान) प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खनि. प्रशा.), जिला-रायपुर के ज्ञापन क्रमांक/क./ख.लि./तीन-6/2016 रायपुर, दिनांक 19/01/2017 द्वारा अनुमोदित है।
3. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 4267/ख.लि.03/2020 राजनांदगांव, दिनांक 31/10/2020 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 12 खदानें, क्षेत्रफल 12.025 हेक्टेयर है।
4. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 971/ख.लि.03/2020 राजनांदगांव, दिनांक 08/06/2020 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मस्घद, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध एवं एनीकट आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
5. लीज का विवरण – भूमि एवं लीज श्री श्रीचंद चाचडा के नाम पर है। पूर्व में यह लीज श्री सत्यवान कुकरेजा के नाम पर थी। लीज डीड 05 वर्षों अर्थात् दिनांक 02/02/2007 से 01/02/2012 तक की अवधि हेतु थी। लीज दिनांक 30/04/2014 को श्री श्रीचंद चाचडा के नाम पर हस्तांतरित की गई है। लीज डीड का प्रथम नवीनीकरण दिनांक 02/02/2012 से 01/02/2017 तक की अवधि हेतु किया गया था। तत्पश्चात् लीज डीड में 20 वर्षों की, दिनांक 02/02/2017 से 01/02/2037 तक की अवधि वृद्धि की गई है।
6. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
7. वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, वनमण्डल खैरागढ़, जिला-राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक मा.धि./न.क्र.25/1770

खैरागढ़, दिनांक 07/06/2020 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार वन कक्ष क्रमांक 363 से 4.1 कि.मी. दूर है।

8. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी – निकटतम आबादी ग्राम-कलकसा 0.8 कि.मी. स्कूल/अस्पताल बलदेवपुर 1.5 कि.मी. दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 30 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 2.5 कि.मी. दूर है।
9. पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
10. खनन संपदा एवं खनन का विवरण – जियोलॉजिकल रिजर्व 1,29,400 टन माईनेबल रिजर्व 99,060 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व 62,154 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 0.28 हेक्टेयर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 10 मीटर है। ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 15 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित नहीं है एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लारिस्टिंग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	गहराई (मीटर)	आयतन (घनमीटर)	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	833	3	2,500	5,000
द्वितीय	833	3	2,500	5,000
तृतीय	833	3	2,500	5,000
चतुर्थ	833	3	2,500	5,000
पंचम	833	3	2,500	5,000

आगामी वर्षों की उत्पादन योजना

वर्ष	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	गहराई (मीटर)	आयतन	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
छष्ठम	833	3	2,500	5,000
सप्तम	833	3	2,500	5,000
अष्टम	833	3	2,500	5,000
नवम	833	3	2,500	5,000
दशम	833	3	2,500	5,000

11. जल आपूर्ति – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 8 घनमीटर प्रतिदिन होगी। खदान में विभिन्न क्रियाकलापों (जल छिड़काव, वृक्षारोपण) हेतु जल की आपूर्ति निष्क्रिय खदानों में एकत्रित जल एवं पेयजल की आपूर्ति टैंकर के माध्यम से की जाती है।



12. वृक्षारोपण कार्य – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 700 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

13. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:-

- पूर्व में घूना पत्थर खदान खसरा क्रमांक 240/2 एवं 241, क्षेत्रफल 0.647 हेक्टेयर, क्षमता-5,000 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला-राजनांदगांव द्वारा दिनांक 09/03/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति दिनांक 31/03/2020 तक की अवधि हेतु जारी की गई थी।
- पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है।
- निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।
- कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला-राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 5049/ख.लि.02/2020 राजनांदगांव, दिनांक 02/12/2020 के अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वित्तीय वर्ष	वास्तविक उत्खनन (टन)	वित्तीय वर्ष	वास्तविक उत्खनन (टन)
2007-08	830	2014-15	5,201
2008-09	1,270	2015-16	3,240
2009-10	1,800	2016-17	11,822
2010-11	2,255	2017-18	4,978
2011-12	1,250	2018-19	4,990
2012-13	1,190	2019-20	4,820
2013-14	1,160		

14. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का कुल क्षेत्रफल 2,806 वर्गमीटर क्षेत्र है, जिसमें से कुछ भाग लगभग 2,500 वर्गमीटर क्षेत्र, 2.5 मीटर से 5.5 मीटर की गहराई तक उत्खनित है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति को बताया गया कि ई.आई.ए. रिपोर्ट के प्रस्तुतीकरण के पूर्व उपरोक्त उत्खनित क्षेत्र को पुनःभराव कर वृक्षारोपण का कार्य कर लिया जाएगा।

15. प्रस्तुत अनुमोदित माईनिंग प्लान में यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि पूर्व से उत्खनित खनिज की मात्रा को माईनेबल रिजर्व की गणना के लिए कम किया गया है अथवा नहीं? साथ ही जियोलॉजिकल रिजर्व, माईनेबल रिजर्व की वर्तमान वास्तविक मात्रा की गणना भी प्रस्तुत नहीं की गई है। अतः उपरोक्त का समावेश करते हुये उपयुक्त की गणना कर संशोधित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

16. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई हैं। शर्त क्रमांक VIII (i) के अनुसार:-

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from

windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्त के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

17. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:-

- a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha, falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
- b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 4267/ख.लि.03/2020 राजनांदगांव, दिनांक 31/10/2020 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 12 खदानें, क्षेत्रफल 12.025 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम-कलकसा) का रकबा 0.647 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम-कलकसा) को मिलाकर कुल रकबा 12.672 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।
2. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों यथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों बाबत संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला - रायपुर (छत्तीसगढ़) से जानकारी प्राप्त की जाए।
3. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' कैटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैंडर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए. /ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टिविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैंडर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:-
 - i. Project proponent shall inform S.E.A.C. Chhatisgarh before start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.
 - ii. Project proponent shall submit the Common Environment Management Plan.

- iii. Project proponent shall submit blasting permission from DGMS.
- iv. Project proponent shall submit revised approved mining plan incorporating all blocked reserves in calculations & mined out as per instructions of committee.
- v. Project proponent shall submit layout map earmarking 7.5 meter of mine lease periphery & previously mined out area in safety zone, calculation of mined out area and remedial measures for development of greenbelt in 7.5 meter wide all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. Project proponent shall incorporate the remedial measures for mining activity carried out in the past in safety zone and complete the restoration work before submission of final EIA report incorporating the details in revised approved mining plan.
- vi. Project proponent shall complete the restoration of 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation during the current year and incorporate the details alongwith photographs in the EIA report.
- vii. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost.

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

9. मेसर्स श्री योगेश डाकलिया लाईम स्टोन क्वारी, ग्राम-डुमरडीहकला, तहसील व जिला-राजनांदगांव (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1371)

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए / सीजी / एमआईएन / 164267 / 2020, दिनांक 25 / 03 / 2020। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 29 / 08 / 2020 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 22 / 10 / 2020 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम-डुमरडीहकला, तहसील व जिला-राजनांदगांव स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 108, कुल क्षेत्रफल-0.728 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-8,250 टन प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 346वीं बैठक दिनांक 07 / 11 / 2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. प्रस्तुत 500 मीटर के प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि उक्त खदानों के 500 मीटर के भीतर अन्य खदान है अथवा नहीं? ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) में परिभाषित क्लस्टर अनुसार "कोई क्लस्टर उस समय बनाया जाएगा, जब एक लीज के परिसरों के बीच दूरी उस सदृश खनिज क्षेत्र में अन्य पट्टे के परिसर से 500 मीटर से कम है।" अर्थात् क्लस्टर हेतु होमोजिनियस मिनेरल क्षेत्र में विचाराधीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के

भीतर आने वाले सभी खदानों को शामिल करते हुए तथा इस प्रकार शामिल खदानों के लीज सीमा के 500 मीटर के भीतर आने वाले अन्य सभी खदानों को (क्लस्टर में खदानों को वहाँ तक शामिल किया जाए, जहाँ तक 500 मीटर की दूरी में कोई खदान अवस्थित न हो) शामिल किया जाना चाहिए। अतः उपरोक्तानुसार प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।

2. पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।
3. विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
4. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।
5. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 02/12/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 350वीं बैठक दिनांक 09/12/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 08/12/2020 द्वारा सूचना दी गयी है कि वांछित जानकारी अपूर्ण होने के कारण से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी माह के आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है। समिति द्वारा अनुरोध को मान्य किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह के आयोजित बैठक में पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 02/01/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(स) समिति की 352वीं बैठक दिनांक 06/01/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 06/01/2021 द्वारा सूचना दी गयी है कि वांछित जानकारी अपूर्ण होने के कारण से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी माह के आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को फरवरी माह के आयोजित बैठक में पूर्व में चाही गई वांछित

जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

10. मेरास श्रीमती आरती गुप्ता (आर्डिनरी स्टोन माईनिंग), ग्राम-पस्ता, तहसील-रामानुजनगर, जिला-सूरजपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1465)

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए / सीजी / एमआईएन / 182509 / 2020, दिनांक 09 / 11 / 2020।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्व से संचालित आर्डिनरी स्टोन माईनिंग (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम-पस्ता, तहसील-रामानुजनगर, जिला-सूरजपुर स्थित खसरा क्रमांक 196 कुल क्षेत्रफल-1 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-7,740.86 टन प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 351वीं बैठक दिनांक 10 / 12 / 2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) द्वारा उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में मंदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित होने अथवा न होने बाबत जानकारी की प्रति प्रस्तुत की जाए।
2. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) द्वारा उक्त खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की जाए।
3. भू-स्वामित्व संबंधी दस्तावेज की पठनीय प्रति प्रस्तुत की जाए।
4. पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफस सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफस सहित प्रस्तुत की जाए।
5. विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
6. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।
7. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफस) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 02 / 01 / 2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 352वीं बैठक दिनांक 06 / 01 / 2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा कोई अनुरोध पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी एवं अनुरोध पत्र प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

11. मेसर्स श्री भावेश कुमार बैद (भरकाटोला लाईम स्टोन माईन), ग्राम-भरकाटोला, तहसील व जिला-राजनांदगांव (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1424)

ऑनलाईन आवेदन - प्रोजेक्ट नम्बर - एसआईए / सीजी / एमआईएन / 179688/2020, दिनांक 19/10/2020। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 27/10/2020 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 09/11/2020 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम-भरकाटोला, तहसील व जिला-राजनांदगांव स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 345 कुल क्षेत्रफल-2.918 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता- 60,000 टन प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 351वीं बैठक दिनांक 10/12/2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र की पठनीय प्रति प्रस्तुत की जाए।
2. पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई है, पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।
3. विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
4. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।
5. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 02/01/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

4. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
5. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।
6. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 02/01/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 352वीं बैठक दिनांक 06/01/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 08/01/2021 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त आवेदन, समिति की दिनांक 07/01/2021 एवं 08/01/2021 को आयोजित बैठक में विचार किये जाने हेतु अनुरोध किया गया। समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को अमान्य किया गया।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को फरवरी माह के आयोजित बैठक में पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

13. गेसर्स श्री राधेश्याम गुप्ता (खमटोला क्वार्टरज माईन), ग्राम-खमटोला, तहसील-मोहला, जिला-राजनांदगांव (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1301)

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए / सीजी / एमआईएन / 153225 / 2020, दिनांक 14/05/2020। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 27/05/2020 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 10/11/2020 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्व से संचालित क्वार्टरज (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम-खमटोला, तहसील-मोहला, जिला-राजनांदगांव स्थित खसरा क्रमांक 9/1, 10, 12/1, 12/2 एवं 18, कुल क्षेत्रफल-4.927 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-7,664 टन प्रतिवर्ष है।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 351वीं बैठक दिनांक 10/12/2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. लीज डीड की प्रति प्रस्तुत की जाए।

2. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) द्वारा उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में मंदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित होने अथवा न होने बाबत जानकारी की पढ़नीय प्रति प्रस्तुत की जाए।
3. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) द्वारा उक्त खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों के संबंध में जानकारी की पढ़नीय प्रस्तुत की जाए।
4. पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिसूचित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।
5. विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
6. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।
7. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 02/01/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 352वीं बैठक दिनांक 06/01/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 06/01/2021 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त आवेदन, समिति की दिनांक 07/01/2021 एवं 08/01/2021 को आयोजित बैठक में विचार किये जाने हेतु अनुरोध किया गया। समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को अमान्य किया गया।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को फरवरी माह के आयोजित बैठक में पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

14. मेसर्स श्री नवकार स्टोन्स (पार्टनर-श्री राहुल कोठारी, डुमरडीहकला लाईम स्टोन क्वारी), ग्राम-डुमरडीहकला, तहसील व जिला-राजनांदगांव (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1481)

ऑनलाईन आवेदन - पूर्व में प्रपोजल नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 33139/2019, दिनांक 16/03/2019 द्वारा टी.ओ.आर हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 186043/2018,

दिनांक 02/12/2020 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट हेतु आवेदन किया गया।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम-डुमरडीहकला, तहसील व जिला-राजनांदगांव स्थित खसरा क्रमांक 118/1 एवं 118/2, कुल क्षेत्रफल-4.448 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-50,000 टन प्रतिवर्ष है।

पूर्व में एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 07/09/2019 द्वारा प्रकरण बी-1 कटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैंडर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टिविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैंडर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु जारी किया गया।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट दिनांक 02/12/2020 को प्रस्तुत की गई है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 351वीं बैठक दिनांक 10/12/2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत ई.आई.ए./जानकारी का परीक्षण कर पाया गया कि प्रकरण ई.आई.ए. प्रस्तुतीकरण का है। समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 02/01/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 352वीं बैठक दिनांक 06/01/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री राहुल कोठारी एवं श्री जितेश जैन, पार्टनर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत डुमरडीहकला का दिनांक 01/05/2019 का जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान एलांग विथ इन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान एण्ड क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक, (खनि.प्रशा.), जिला-रायपुर के ज्ञापन क्रमांक क./ख.लि./तीन-6/2019/2326 रायपुर, दिनांक 19/02/2019 द्वारा अनुमोदित की गई है।
3. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला-राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 478/ख.लि. 02/2019 राजनांदगांव, दिनांक 24/05/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 11 खदानें, क्षेत्रफल 9.2 हेक्टेयर है।

4. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएँ - कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला-राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 478/ख.लि. 02/2019 राजनांदगांव, दिनांक 24/05/2019 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
5. एल.ओ.आई. का विवरण - परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत एल.ओ.आई. की वैधता समाप्त हो गई है। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा अपील प्रकरण क्रमांक 33/2020 विरुद्ध कलेक्टर, जिला-राजनांदगांव के परिपेक्ष्य में न्यायालय संचालक, संचालनालय, भूमिकी तथा खनिकर्म, छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 4707/खनि-2/न.क्र.33/2020 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 26/11/2020 द्वारा जारी पारित आदेश की प्रति प्रस्तुत की गई है। उक्त में "विवेचना के आधार पर पुनरीक्षण प्रकरण स्वीकार करते हुए, जिला कार्यालय (खनिज शाखा), राजनांदगांव के पत्र दिनांक 28/01/2019 द्वारा जारी आशय पत्र में निहित शर्तों का पालन पुनरीक्षणकर्ता मेसर्स नवकार स्टोन्स, पार्टनर श्री राहुल कोठारी, निवासी लखोली रोड राजनांदगांव द्वारा कर लिये जाने की स्थिति में छत्तीसगढ़ शासन, खनिज साधन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ 6-42/2012/12, दिनांक 26/06/2020 के परिपेक्ष्य में छत्तीसगढ़ गौण खनिज अधिनियम, 2015 के नियम 42(5) के तहत उक्त प्रकरण में नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही करने हेतु अतिरिक्त समयवाधि प्रदान करते हुये प्रकरण कलेक्टर, जिला राजनांदगांव को प्रत्यावर्तित किया जाता है।" के लिए आदेश जारी किया गया है।
6. भू-स्वामित्व - भूमि श्री कुशलचंद कोठारी के नाम पर है। उत्खनन हेतु भू-स्वामी का सहमति पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।
7. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट - वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र - कार्यालय वनमण्डल अधिकारी, राजनांदगांव वनमण्डल, जिला-राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक/मा.घि. /10-2/4253/राजनांदगांव, दिनांक 28/05/2019 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार वन कक्ष क्रमांक 551 से 8.19 कि.मी. दूर है।
9. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी - निकटतम आबादी ग्राम-टेलकाडीह लगभग 1 कि.मी. अस्पताल एवं शैक्षणिक संस्थान ग्राम-टेलकाडीह 1 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। निकटतम रेलवे स्टेशन राजनांदगांव लगभग 15 कि.मी. की दूरी पर है। राष्ट्रीय राजमार्ग लगभग 15 कि.मी. एवं राज्यमार्ग लगभग 0.34 कि.मी. दूर है। शिवनाथ नदी 20 कि.मी. की दूरी पर है।
10. पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र - परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 किलोमीटर की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
11. खनन संपदा एवं खनन का विवरण - जियोलॉजिकल रिजर्व 17,79,200 टन एवं माईनेबल रिजर्व 11,50,374 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व 10,92,855 टन है।

लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 0.02 हेक्टेयर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाना प्रस्तावित है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 20 मीटर होगी। वर्तमान उत्खनन योजना के तहत 6 मीटर की गहराई तक उत्खनन किया जाना प्रस्तावित है। बेंच की ऊंचाई 3 चौड़ाई 3 मीटर होगी। ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर है। खदान की संभावित आयु 22 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	गहराई (मीटर)	आयतन (घनमीटर)	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	8,334	3	25,000	50,000
द्वितीय	8,334	3	25,000	50,000
तृतीय	8,334	3	25,000	50,000
चतुर्थ	8,334	3	25,000	50,000
पंचम	8,334	3	25,000	50,000

12. **जल आपूर्ति** - परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 8 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति बोरवेल के माध्यम से की जाएगी। भूमिगत जल उपयोग हेतु अनुमति सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी में आवेदन किया जाना बताया गया है, जो कि प्रक्रियाधीन है।
13. **वृक्षारोपण कार्य** - लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 1,500 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।
14. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:-** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
15. **ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण:-**
 - i. **जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी** - मॉनिटरिंग कार्य अक्टूबर 2019 से दिसम्बर 2019 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 8 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 6 स्थानों पर भू-जल गुणवत्ता मापन, 6 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 2 स्थलों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 6 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।
 - ii. **मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार** पी.एम._{2.5} 26.28 से 43.58 माईक्रोग्राम/घनमीटर, पी.एम.₁₀ 47.2 से 66.5 माईक्रोग्राम/घनमीटर, एसओ₂ 9.08 से 14.63 माईक्रोग्राम/घनमीटर तथा एनओ_{एक्स} 11.33 से 20.24 माईक्रोग्राम/घनमीटर पाई गई है। परियोजना स्थल के आसपास जल स्रोतों की गुणवत्ता भारतीय मानक के अनुसार है। परिवेशीय ध्वनि स्तर (Day time) 48 डीबीए से 54.23 डीबीए एवं ध्वनि स्तर (Night time) 33.24 डीबीए से 44.32 डीबीए पाया गया।



16. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
95.25	2%	1.90	Following activities at Nearby Government Primary School Village-Dumardihkala	
			Rain Water Harvesting System	0.80
			Potable Drinking Water Facility	0.30
			Running Water Facility for Boys & Girls Toilets	0.20
			Plantation with Fencing	0.61
			Total	1.91

17. जारी टी.ओ.आर. के अतिरिक्त विन्दु क्रमांक 3, 5, 8 एवं 9 की पूर्ण जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है।
18. समिति के संज्ञान में यह तथ्य आया कि प्रस्तुतीकरण एवं मॉनिटरिंग की सूचना हेतु प्रेषित पत्र में मॉनिटरिंग कार्य अक्टूबर 2019 से दिसम्बर 2019 के मध्य किया जाना बताया गया है। जबकि प्रस्तुत ई.आई.ए. रिपोर्ट में मॉनिटरिंग कार्य नवम्बर 2018 से जनवरी 2019 तक किया जाने का उल्लेख किया गया है। साथ ही प्रस्तुत आंकड़ों में भी गिन्नता है। अतः इस संबंध में स्थिति स्पष्ट किया जाना आवश्यक है।
19. लोक सुनवाई का विवरण – लोक सुनवाई दिनांक 30/09/2020 दोपहर 12:00 बजे स्थान ग्राम पंचायत डुमरडीहकला के मंगल भवन के प्रांगण में ग्राम-डुमरडीहकला, तहसील व जिला-राजनांदगांव में संपन्न हुई। लोक सुनवाई दस्तावेज सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर के पत्र दिनांक 05/11/2020 द्वारा प्रेषित किया गया है।
20. जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये हैं:-
- क्रशर प्लांटों के द्वारा नहरों में मिट्टी डाली जाती है, जिससे गांव के नहर-नालियां जाम हो रही है। खदानों की गहराई बढ़ने से गांव के मवेशी अक्सर इनमें गिर जाते हैं। रात में इन क्रशर प्लांटों से बदबू आती है और डस्ट से पर्यावरण प्रदूषण होती है। खासकर बच्चों के स्कूल जाने के दौरान गाड़ियों की अधिक आवाजाही होने से दुर्घटना की संभावना होती है और धूल से प्रदूषण होता है।

- ii. स्थानीय ग्रामीण लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। श्रम कानून का पालन नहीं किया जाता है। काम के घंटे तय नहीं होते हैं तथा लोगों को वेतन भी समय पर नहीं दिया जाता है।
- iii. ब्लारिस्टिंग से खेतों के बोर घस जाते हैं तथा शासकीय जगह पर भी अवैध रूप से कब्जा कर खनन किया जा रहा है। क्रशर प्लांटों के खुलने से गांव के जानवरों के लिए चारागाह नहीं बचे हैं।

लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावक का कथन एवं प्रस्तावित कार्ययोजना संबंधी जानकारी निम्नानुसार है:-

- i. इस परियोजना में क्रशर यूनिट की स्थापना प्रस्तावित नहीं है। खदान क्षेत्र के चारों ओर पक्की फेंसिंग कर, वृक्षारोपण किया जाएगा। जिससे पशुओं की खदान में गिरने की संभावना नहीं है। खदान में खनन बंद होने के बाद स्थल को तालाब के रूप में उपयोग किया जाएगा। शासकीय प्राथमिक शाला डुमरडीहकला एवं टेलकाडीह में स्कूल के चारों ओर तारों का घेराव कर वृक्षारोपण, टॉयलेट एवं पानी टंकी की व्यवस्था कराई जाएगी।
- ii. स्थानीय लोगों को रोजगार में प्राथमिकता दी जाएगी। खदान के श्रमिकों को नियमित रूप से मासिक वेतन दिया जाएगा एवं नियमानुसार वेतन में वृद्धि होगी।
- iii. ब्लारिस्टिंग कार्य सक्षम प्राधिकारी के अनुमति के उपरांत किया जाएगा। ब्लारिस्टिंग से होने वाले ध्वनि प्रदूषण को रोकने पर विशेष ध्यान रखा जाएगा। अनुभवी कांटेक्टर की निगरानी में कन्ट्रोल ब्लारिस्टिंग की जाएगी जिससे बोर घसने जैसी स्थिति निर्मित नहीं होगी। स्वीकृत लीज क्षेत्र पर ही खनन किया जाएगा। प्रस्तावित खनन क्षेत्र निजी भूमि है। अतः चारागाह की भूमि उपलब्ध नहीं होने जैसी स्थिति नहीं है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. मॉनिटरिंग कार्य नवम्बर 2018 से जनवरी 2019 तक किया गया अथवा अक्टूबर 2019 से दिसम्बर 2019 के मध्य किया गया है। इस संबंध में प्रमाणिक जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत की जाए तथा आंकड़ों की भिन्नता के संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाए।
2. उत्खनन प्रक्रिया के दौरान उत्खनित ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) को लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर क्षेत्र में कितनी मात्रा में उपयोग किया जाएगा एवं शेष ऊपरी मिट्टी के उचित रख-रखाव के प्रस्ताव सहित सक्षम प्राधिकारी की अनुमति प्रस्तुत की जाए।
3. उत्खनन हेतु भू-स्वामी का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाए।
4. सुरक्षित एवं नियंत्रित विधि से ब्लारिस्टिंग किये जाने हेतु सक्षम प्राधिकारी / डी.जी.एम.एस. से अनुमति संबंधी जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
5. आवश्यक जल की आपूर्ति बोरेवेल से किए जाने हेतु सेंट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनापत्ति प्रमाण प्राप्त कर प्रस्तुत की जाए।
6. रिक्लेमेशन प्लान (Reclamation Plan) की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की जाए।

8. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।
9. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 04/01/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 352वीं बैठक दिनांक 06/01/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री मलय सेन गुप्ता, डॉयरेक्टर एवं मेसर्स इन्प्रो इन्वायरो टेक एण्ड इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड, सूरत, गुजरात की ओर पर्यावरण सलाहकार के रूप में श्री मनन देशाई उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई—

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:— उक्त इकाई को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. जल एवं वायु सम्मति – क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर द्वारा Common Bio Medical Waste Treatment and Diposal facility of capacity 2 Tonne Per Day हेतु जल एवं वायु सम्मति नवीनीकरण दिनांक 23/03/2019 को जारी की गई है, जो दिनांक 30/04/2024 तक वैध है।
3. वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत की गई है।
4. समीपस्थ स्थित क्रियाकलापों संबंधी जानकारी –
 - समीपस्थ आबादी ग्राम-चरौदा 1.3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 0.94 कि.मी. दूर है। खारून नदी 3.34 कि.मी. दूर है।
 - परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
5. भू-स्वामित्व – भूमि मेसर्स एस.एम.एस. वाटरग्रेस इनवॉयरोप्रोटेक (प्रा.लि.) के नाम पर है।
6. ट्रीटमेंट फेसीलिटी –

• Technical Specifications of Proposed Incinerator

Incinerator	
Type of Incinerator	"ALFA-THERM" controlled air Oil Fired Incinerator Model BMW-250
Type of Waste	Biomedical Waste
Burning Capacity	250 Kg/Hr x 2 Nos. (Proposed additional)
Auxiliary Fuel	Diesel
Type of Burner Operation	Monoblock / Split type fully automatic burners

Temperature	
Primary Chamber	800 ± 50 °C
Secondary Chamber	1050 ± 50 °C
Primary Chamber	
Type	Static Solid Hearth
Material of Construction	Mild Steel, 12-16 mm thick
Refractory thickness	300 mm thick
Temperature resistance	1400°C
Insulation thickness	115 mm thick
Material	Insulation bricks confirming to IS-2042
Waste Charging	Automatic through Hydraulic Ram Pusher.
Ash Removal	Manual
Secondary Chamber	
Type	Static Furnace connected to primary furnace
Material of Construction	Mild Steel, 10 mm thk
Refractory thickness	115 mm Thk insulation brick and 115 mm x 2 layer of fire brick.
Material	Refractory bricks confirming to IS-8
Temperature resistance	1200°C
Insulation thickness	115 mm
Material	Insulation bricks confirming to IS-2042
Residence time for flue gases	2 seconds

• **Specifications Of Proposed Autoclave**

Specifications	
Model	Single Hinge Door, Automatic Standard model Vacuum Pump with Condenser, Pressure transmitter along with SS Carriage & Trolley
Capacity	450 L X 2 Nos. (Additional)
Size	500 x 500 x 1000 mm each
Working Parameter	
Chamber Working Pressure	1.06 Kg/Cm ²
Jacket Working Pressure	1.5 Kg/Cm ²
Chamber Working Temperature	121°C
Hydro Test	
Chamber	One & half time the working Pressure
Jacket	Twice the Working Pressure
Chamber and Back plate	The Sterilizing Chamber is fabricated from S.S.304 Quality with full argon welding
Jacket	The jacket is fabricated from M.S Quality
Insulation	Resin Bonded Rock wool insulation of 50mm thickness
Sensor	PT 100 sensors are used for PLC and manual control
Manual Backup	The Control System is provided with a manual backup in case of PLC Failure. Here all Valves, Pumps, etc. can be operated with individual Switches

• **Specifications of Proposed Shredder**

Specifications	
Nos.	4 (Additional)
Capacity	250 Kg/hr
Blades	Combined Hook/Shear Blades
Safety Features	a. Auto Reverse System b. Interlocks to avoid aerosolizing. c. Low Noise, Non Ballistic. d. Auto Shut Off.

7. प्रस्तावित एवं क्षमता विस्तार उपरांत उत्पादन संबंधी विवरण:-

Facility Name	Existing Capacity	Proposed Expansion Capacity	Proposed Capacity After Expansion
Incinerator	1 x 250 Kg/Hr	2 x 250 Kg/Hr	3 x 250 Kg/Hr
Autoclave	1 x 175 Liter/Batch	2 x 450 Liter/Batch	1 x 175 + 2 x 450 Liter/Batch
Shredder	2 x 250 Kg/Hr	4 x 250 Kg/Hr	6 x 250 Kg/Hr
Chemical Disinfection Unit	1 x 500 Kg/Hr	1 x 2,000 Kg/Hr	1 x 500 + 1 x 2,000 Kg/Hr

8. हजाडर्स एवं ठोस अपशिष्ट अपवहन व्यवस्था -

Hazardous & Solid Waste Management				
CAT. NO.	Type of Hazardous And Other Waste	Source	Total Quantity Generated for Proposed expansion (Kg/Day)	Method of Disposal
36.2	Ash	Incinerator	1,000	Sent to CHWT/SDF site/secured landfilling
34.3	ETP Sludge	ETP area	250	Sent to CHWT/SDF site/secured landfilling
-	Plastic Waste after Autoclave and shredding	Shredder	4,000	Sent to Authorized Recyclers.
-	Glass and metallic body implants After Autoclave	Autoclave	400	Sent to Authorized Recyclers
-	Metal Sharps after Autoclave and Shredding	Shredding	50	Sent to foundry for metal recovery / TSDF site
5.1	Waste oil	From Plant & Machineries	As generated	Sent to Authorized Recyclers
-	Used batteries	-	As generated	Sent to Authorized Recyclers

9. जल प्रबंधन व्यवस्था -

- जल खपत एवं स्रोत - वर्तमान में परियोजना हेतु कुल 14.8 घनमीटर प्रतिदिन (घरेलू उपयोग हेतु 0.5 घनमीटर प्रतिदिन, गार्डनिंग हेतु 0.7 घनमीटर प्रतिदिन एवं औद्योगिक उपयोग हेतु 13.6 घनमीटर प्रतिदिन) का उपयोग किया जा रहा है। क्षमता विस्तार उपरांत परियोजना हेतु कुल 55.8 घनमीटर प्रतिदिन (घरेलू उपयोग हेतु 2 घनमीटर प्रतिदिन, गार्डनिंग हेतु 8.7 घनमीटर प्रतिदिन एवं औद्योगिक उपयोग हेतु 45.1 घनमीटर प्रतिदिन) का उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। आवश्यक जल की आपूर्ति छत्तीसगढ़ इस्पात भूमि लिमिटेड के माध्यम से की जाती है। यही व्यवस्था क्षमता विस्तार हेतु भी अपनायी जाएगी।

- **जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – वर्तमान में परियोजना हेतु कुल 6.1 घनमीटर प्रतिदिन (घरेलू उपयोग हेतु शून्य घनमीटर प्रतिदिन, गार्डनिंग हेतु शून्य घनमीटर प्रतिदिन एवं औद्योगिक उपयोग हेतु 6.1 घनमीटर प्रतिदिन) का उपयोग किया जा रहा है। क्षमता विस्तार उपरांत घरेलू दूषित जल की मात्रा 1 घनमीटर प्रतिदिन, गार्डनिंग हेतु शून्य घनमीटर प्रतिदिन एवं औद्योगिक दूषित जल की मात्रा 22.1 घनमीटर प्रतिदिन होगी। घरेलू दूषित जल के उपचार हेतु सेप्टिक टैंक एवं सोकपिट निर्माण किया जाएगा। औद्योगिक दूषित जल के उपचार हेतु ईफ्ल्युएंट ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना किया गया है। ईफ्ल्युएंट ट्रीटमेंट प्लांट के अंतर्गत कलेक्शन कम एक्वालाइजेशन टैंक, फ्लैश मिक्सर एवं फ्लोकुलेटर, प्राईमरी सेटलिंग टैंक, एरिएशन टैंक, सेकण्डरी सेटलिंग टैंक, इंटरमिटेंट स्टोरेज टैंक, पंप, स्लज ड्राईंग बेड, पी.एस.एफ. एवं ए.सी.एफ., डिसइन्फेक्शन फेसिलिटी (सोडियम हाइपोक्लोराइड का उपयोग डिसइन्फेक्टेंट मीडिया की तरह किया जाएगा), ट्रीटेड वेस्ट वॉटर टैंक आदि स्थापित है। उपचारित दूषित जल को विभिन्न कार्यों में उपयोग किया जाएगा। प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु भी उपरोक्त व्यवस्था अपनाई जाएगी।
- **रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था** – प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था का विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट में प्रस्तुत किया जाएगा।

10. **वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – स्थापित एवं प्रस्तावित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था संबंधी जानकारी निम्नानुसार है:-

Facility Name	Pollution Control System		
	Fuel	Equipment	Stack height (In M)
Incinerator Existing (1 x 250 Kg/Hr)	Diesel/LDO	APC Consisting of Venturi & Packed Bed Scrubber	30
DG Set Existing (1 x 100 KVA)	Diesel/LDO (30 Lit/Hr)	Stack attached to DG set	3
Incinerator Proposed	Diesel/LDO	APC Consisting of Gss Quencher Ventury Scrubber, Polishing Scrubber	30
DG Set Proposed (1 x 100 KVA)	Diesel/LDO (30 Lit/Hr)	Stack attached to DG set	3

वर्तमान में पार्टिकुलेट मीटर का उत्सर्जन 50 मिलिग्राम/सामान्य घनमीटर रखा गया है। समिति का मत है कि यह क्षेत्र क्रिटिकली पाल्युटेड एरिया के समीप होने के कारण पार्टिकुलेट मीटर का उत्सर्जन 30 मिलिग्राम/सामान्य घनमीटर से कम रखा जाना आवश्यक है। अतिरिक्त चिमनी की स्थापना प्रस्तावित नहीं है। फ्युजिटिव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण हेतु जल छिड़काव किया जाना प्रस्तावित है।

11. **परिवहन व्यवस्था** – जैव-चिकित्सा अपशिष्ट का संग्रहण एवं परिवहन जैव-चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है। यही व्यवस्था क्षमता विस्तार उपरांत भी अपनाई जाएगी।
12. **विद्युत खपत एवं स्रोत** – क्षमता विस्तार उपरांत 250 मेगावॉट विद्युत खपत होना संभावित है, जिसकी आपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड द्वारा किया जावेगा। वैकल्पिक व्यवस्था हेतु वर्तमान में 100 क्वीए का

01 नग डी.जी. सेट स्थापित है। क्षमता विस्तार उपरांत वैकल्पिक व्यवस्था हेतु 100 कॅक्सीए का 1 नग अन्य डी.जी. सेट लगाया जाना प्रस्तावित है।

13. वृक्षारोपण की स्थिति – कुल क्षेत्रफल में से लगभग 1,272 वर्गमीटर (लगभग 20.4 प्रतिशत) में वृक्षारोपण किया गया है। समिति का मत है कि परिसर के चारों ओर कम से कम 40 प्रतिशत क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण बी-1 कटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैंडर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ईआईए/ईएमपी रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टिविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ईआईए नोटिफिकेशन, 2006 में कॉमन हज़ार्डस वेस्ट ट्रीटमेंट, स्टोरेज एण्ड डिस्पोजल फेसिलिटी (टीएसडीएफएस) (Common hazardous waste treatment, storage and disposal facilities (TSDFs)) हेतु वर्णित श्रेणी 7(डी) का स्टैंडर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) Common Bio Medical Waste Treatment Facility (CBMWTF) के अंतर्गत Incinerator क्षमता – 250 कि.ग्रा. प्रतिघंटा से 750 कि.ग्रा. प्रतिघंटा, Auto Clave क्षमता – 175 लीटर प्रतिबैच से 625 लीटर प्रतिबैच, Shredder क्षमता – 500 कि.ग्रा. प्रतिघंटा से 1,500 कि.ग्रा. प्रतिघंटा एवं Chemical Disinfection Unit क्षमता – 500 कि.ग्रा. प्रतिघंटा से 2,500 कि.ग्रा. प्रतिघंटा हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की जाये:-

1. ई.आई.ए. रिपोर्ट बनाने हेतु मॉनिटरिंग कार्य प्रारंभ करने से पूर्व एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ को सूचित किया जाए।
2. उपरोक्त स्टैंडर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) में "परिसंकटमय अपशिष्टों" के स्थान पर "जैव-चिकित्सा अपशिष्टों" का उल्लेख किया जाए। तदनुसार युक्तियुक्त संशोधन किया जाए।
3. जैव-चिकित्सा अपशिष्टों का संग्रहण, हथालन (handling), भंडारण, परिवहन एवं निपटान (disposal) तथा उपचारित दूषित जल गुणवत्ता एवं वायु प्रदूषकों के उत्सर्जन बाबत निर्धारित मानकों का पालन जैव-चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के अनुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाए। तदनुसार ई.आई.ए. में प्रस्ताव का समावेश किया जाए।
4. ईफ्ल्युएंट ट्रीटमेंट प्लांट की वर्तमान एवं प्रस्तावित क्षमता को ले-आउट में दर्शाते हुये प्रस्तुत किया जाए।
5. वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था हेतु स्थापित एवं प्रस्तावित उपकरणों तथा विमनी की गणना सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जाये।
6. प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु पार्टिकुलेट मीटर का उत्सर्जन 50 मिलिग्राम/सामान्य घनमीटर से 30 मिलिग्राम/सामान्य घनमीटर रखे जाने हेतु गणना सहित प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए। साथ ही वर्तमान में स्थापित वेंचुरी स्कबर एवं पैकड बैग स्कबर के साथ गैस क्वीचर लगाये जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
7. वर्तमान में स्थापित एवं क्षमता विस्तार के तहत प्रस्तावित ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज व्यवस्थाओं एवं रेन वाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्थाओं का विवरण (नंबर एवं साईज सहित) प्रस्तुत किया जाए।
8. सम्मति प्राप्त स्थापित क्षमता से उत्पादन की दशा में एवं क्षमता विस्तार उपरांत उत्पादन की दशा में कुल प्रदूषण भार की गणना कर (जल उपयोग की मात्रा,

श्री आशीष कुमार अग्रवाल, तिल्दा सेण्ड माईन
को खसरा क्रमांक 2099, कुल लीज क्षेत्र 2.02 हेक्टेयर में से 1.32 हेक्टेयर,
ग्राम-तिल्दा, तहसील-बलौदाबाजार, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा (छ.ग.) में
महानदी से रेत उत्खनन क्षमता 19,800 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु प्रस्तावित पर्यावरण
स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति जारी दिनांक से दो वर्ष तक की अवधि हेतु वैध है।
2. गाद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) रिपोर्ट – परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गाद अध्ययन (Siltation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनःभरण (Replenishment) बाबत सही आंकड़े, रेत उत्खनन का नदी, नदीतल, स्थानीय वनस्पति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके। उक्त गाद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) रिपोर्ट प्रस्तुत करने के पश्चात् ही आगामी अवधि के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान करने पर विचार किया जाएगा।
3. यदि खदान खनिज विभाग द्वारा अधिसूचित किसी क्लस्टर में है, अथवा 500 मीटर के भीतर स्वीकृत रेत खदानों का कुल रकबा 5 हेक्टेयर से अधिक होता है तो पर्यावरण स्वीकृति मान्य नहीं होगी।
4. उत्खनन क्षेत्र 1.32 हेक्टेयर से अधिक नहीं होगा। इसी प्रकार खदान से रेत का अधिकतम उत्खनन 19,800 घनमीटर प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा। गैर माईनिंग क्षेत्र एवं अवशेष माईनिंग क्षेत्र का मौके पर खनिज विभाग से स्पष्ट सीमांकन कराने के उपरांत ही खनिज विभाग द्वारा उत्खनन की अनुमति दी जाएगी।
5. रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व उपरोक्तानुसार निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर नदी सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे कर (पोस्ट-मानसून), उसके आंकड़े तत्काल एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किये जाये।
6. रेत खनन उपरांत मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह/जून के प्रथम सप्ताह) इन्ही ग्रिड बिन्दुओं में माईनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर किया जायेगा। इसी प्रकार मानसून के बाद (अक्टूबर/नवम्बर माह में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) इन्ही ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवलस (Levels) का मापन किया जाएगा। रेत सतह के पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवलस (Levels) के मापन का कार्य आगामी 3 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। पोस्ट-मानसून के आंकड़े दिसम्बर 2021, 2022, 2023 एवं प्री-मानसून के आंकड़े अगस्त 2021, 2022, 2023 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे।
7. रेत की खुदाई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जाएगी। इस प्रयोजन के लिये किसी उपकरण संयंत्र (Machinery) आदि का उपयोग नहीं किया जाएगा। रिवर बेड में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गढ़ड़े

की बाड़ का उपयोग) किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए।

17. वृक्षारोपण का रख-रखाव आगामी 3 वर्ष तक सुनिश्चित करते हुये मृत पौधों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए।
18. किये गये वृक्षारोपण की पुष्टी हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं फोटोग्राफ्स अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस. ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।
19. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य किया जाए:-


Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
14.17	2%	0.28	Following activities at Nearby Government Primary School Village- Tilda	
			Rain Water Harvesting System	0.35
			Total	0.35

20. सी.ई.आर. के तहत निर्धारित कार्यवाही 03 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए।
21. परियोजना प्रस्तावक संबंधित केन्द्र / राज्य शासन के विभागों, मण्डलों एवं अन्य संस्थानों से रेत उत्खनन आरंभ करने के पूर्व आवश्यक सभी अनुमतियां प्राप्त करेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण तथा पर्यावरण संरक्षण हेतु समय-समय पर केन्द्र/राज्य सरकार, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा जारी निर्देशों / मार्गदर्शिका का पालन सुनिश्चित किया जाए।
22. छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015, राज्य शासन द्वारा रेत उत्खनन हेतु जारी अधिसूचना दिनांक 2/3/2006 के प्रावधानों/शर्तों एवं तदनुसार जारी दिशा निर्देशों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना का पालन सुनिश्चित किया जाए।
23. कार्य स्थल पर यदि केम्पिंग श्रमिक कार्य पर लगाये जाते है तो ऐसे श्रमिकों के आवास उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप में हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात हटाया जा सके।



24. श्रमिकों के लिए खनन स्थल पर स्वच्छ पेयजल चिकित्सकीय सुविधा, मोबाइल टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।
25. श्रमिकों का समय-समय पर आक्यूपेशनल हेल्थ सर्विलेंस कराया जाये।
26. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
27. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।
28. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की रूपरेखा में परिवर्तन अथवा विनिर्दिष्ट शर्तों के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा में किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा उत्सर्जन / निस्स्राव के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
29. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस-पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की वेबसाइट www.envfor.nic.in एवं एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ की वेबसाइट www.seiaacg.org पर भी किया जा सकता है।
30. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, रायपुर, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर को प्रेषित किया जाए। क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मॉनिटरिंग की जाएगी।
31. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार / क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर / केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए।

32. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये नियमों, परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंधन हथालन एवं सीमापार संचलन) नियम, 2008 (यथा संशोधित) तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।
33. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्त निर्दिष्ट करने बाबत निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
34. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला-व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में 30 दिवस की अवधि के लिये प्रदर्शित करेगा।
35. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरुद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिए गए प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकेगी।


सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी.

अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.

श्री रंजय सिंह, सिपकोन्हा सेण्ड माईन
को खसरा क्रमांक 737, कुल लीज क्षेत्र 5 हेक्टेयर में से 1.78 हेक्टेयर,
ग्राम-सिपकोन्हा, तहसील-पाटन, जिला-दुर्ग (छ.ग.) में खारून नदी से रेत
उत्खनन क्षमता 17,800 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु प्रस्तावित पर्यावरण स्वीकृति में दी
जाने वाली शर्तें

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति जारी दिनांक से दो वर्ष तक की अवधि हेतु वैध है।
2. गाद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) रिपोर्ट - परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गाद अध्ययन (Siltation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनःभरण (Replenishment) बाबत सही आंकड़े, रेत उत्खनन का नदी, नदीतल, स्थानीय वनस्पति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके। उक्त गाद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) रिपोर्ट प्रस्तुत करने के पश्चात् ही आगामी अवधि के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान करने पर विचार किया जाएगा।
3. यदि खदान खनिज विभाग द्वारा अधिसूचित किसी क्लस्टर में है, अथवा 500 मीटर के भीतर स्वीकृत रेत खदानों का कुल रकबा 5 हेक्टेयर से अधिक होता है तो पर्यावरण स्वीकृति मान्य नहीं होगी।
4. उत्खनन क्षेत्र 1.78 हेक्टेयर से अधिक नहीं होगा। इसी प्रकार खदान से रेत का अधिकतम उत्खनन 17,800 घनमीटर प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा। गैर माईनिंग क्षेत्र एवं अवशेष माईनिंग क्षेत्र का मौके पर खनिज विभाग से स्पष्ट सीमांकन कराने के उपरांत ही खनिज विभाग द्वारा उत्खनन की अनुमति दी जाएगी।
5. रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व उपरोक्तानुसार निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर नदी सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे कर (पोस्ट-मानसून), उसके आंकड़े तत्काल एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किये जायें।
6. रेत खनन उपरांत मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह/जून के प्रथम सप्ताह) इन्ही ग्रिड बिन्दुओं में माईनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर किया जायेगा। इसी प्रकार मानसून के बाद (अक्टूबर/नवम्बर माह में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) इन्ही ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवलस (Levels) का मापन किया जाएगा। रेत सतह के पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवलस (Levels) के मापन का कार्य आगामी 3 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। पोस्ट-मानसून के आंकड़े दिसम्बर 2021, 2022, 2023 एवं प्री-मानसून के आंकड़े अगस्त 2021, 2022, 2023 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे।
7. रेत की खुदाई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जाएगी। इस प्रयोजन के लिये किसी उपकरण संयंत्र (Machinery) आदि का उपयोग नहीं किया जाएगा। रिवर बेड में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गड्ढे

(Excavation pits) से लोडिंग प्वाइंट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।


8. रेत का उत्खनन केवल विन्हीत, सीमांकित एवं घोषित क्षेत्र में ही किया जाएगा। रेत उत्खनन की अधिकतम गहराई 1 मीटर अथवा वर्तमान जल स्तर की ऊपरी सतह, दोनो में से जो कम हो, से अधिक नहीं होगी। रेत का उत्खनन किसी भी परिस्थिति में जल स्तर के नीचे नहीं किया जाएगा। न्यूनतम 2 मीटर मोटाई तक की रेत नदी तल (हार्ड रॉक) के ऊपर छोड़ा जाना आवश्यक है।
9. रेत उत्खनन नदी तटों से कम से कम 7.5 मीटर अथवा नदी की चौड़ाई के 10 प्रतिशत की दूरी जो भी अधिक हो छोड़कर ही किया जाएगा, ताकि नदी तटों का क्षरण न हो। इसलिए उत्खनन नदी की सीमा से न्यूनतम 20 मीटर की दूरी के बाद किया जाएगा। किसी भी पुलिया, स्टापडेम, बांध, एनीकट, जल प्रदाय व्यवस्था एवं अन्य स्थायी संरचनाओं से खदान के अपस्ट्रीम में न्यूनतम 500 मीटर तथा डाउनस्ट्रीम में न्यूनतम 250 मीटर सुरक्षित क्षेत्र छोड़ा जाना अनिवार्य है।
10. यह सुनिश्चित किया जाए कि रेत उत्खनन के कारण नदी जल का वेग, टर्बिडिटी एवं जल बहाव के स्वरूप पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े।
11. यह सुनिश्चित किया जाए कि उत्खनन केवल उसी क्षेत्र में किया जाए जिसमें तथा जिसके आस-पास के क्षेत्र पर कोई भी जीव-जन्तु प्रजनन हेतु निर्भर न हो। कछुओं के प्रजनन इकाईयों / क्षेत्रों का संरक्षण आवश्यक है, अतः इन क्षेत्रों के आस पास रेत उत्खनन नहीं किया जाए।
12. रेत उत्खनन एवं भराई / परिवहन दिन के समय ही किया जाए। यह कार्य रात्रि के समय नहीं किया जाए।
13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत उत्खनन विभिन्न प्रभागों यथा लोडिंग / अनलोडिंग आदि से उत्पन्न होने वाले फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु उपयुक्त वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएं जैसे जल छिड़काव अथवा अन्य उपयुक्त व्यवस्था की जाए। रेत उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जल वायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।
14. रेत का परिवहन तारपोलिन अथवा अन्य उपयुक्त माध्यम से ढके हुए वाहन से किया जाए, ताकि रेत वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।
15. उत्खनन क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण न हो, यह सुनिश्चित किया जाए।
16. प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2021 में नदीतट के कटाव को रोकने हेतु कम से कम 200 नग प्रति हेक्टेयर लीज क्षेत्र के अनुसार अर्जुन, जामुन, बड़, पीपल, नीम, करंज, सीसू, आम, इमली, सीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के कुल 1,500 पौधों का रोपण नदी तट पर तथा इसके अतिरिक्त 750 नग पौधे पहुँच मार्ग में किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा कांटेदार तार

अस्थायी संरचनाओं के रूप में हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात हटाया जा सके।

24. श्रमिकों के लिए खनन स्थल पर स्वच्छ पेयजल चिकित्सकीय सुविधा, मोबाइल टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।
25. श्रमिकों का समय-समय पर आक्यूपेशनल हेल्थ सर्विलेंस कराया जाये।
26. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ / भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
27. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।
28. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की रूपरेखा में परिवर्तन अथवा विनिर्दिष्ट शर्तों के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा में किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा उत्सर्जन / निस्स्राव के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
29. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस-पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की वेबसाइट www.envfor.nic.in एवं एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ की वेबसाइट www.seiaacg.org पर भी किया जा सकता है।
30. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, भिलाई-दुर्ग, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर को प्रेषित किया जाए। क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मानिट्रिंग की जाएगी।
31. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार/ क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर / केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण

मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए।

32. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये नियमों, परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंधन हथालन एवं सीमापार संचलन) नियम, 2008 (यथा संशोधित) तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।
33. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्त निर्दिष्ट करने बाबत निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
34. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला-व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में 30 दिवस की अवधि के लिये प्रदर्शित करेगा।
35. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरुद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिए गए प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकेगी।


सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी.

अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.

मेसर्स श्री प्रशांत सिंह (सलिहा सॉईल/आर्डिनरी क्ले क्वारी)
 को खसरा क्रमांक 252, 268, 263, 255/3, 279, 267, 262, 250, 270, 260/2,
 278, 264, 260, 248, 255/1, 255/2, 266, 253, 269, 265, 261/1, 257,
 258, 272, 276/1 259, 287, 276/2, 286, 273, 305/1 एवं 305/2,
 ग्राम-सलिहा, तहसील-खैरागढ़, जिला-राजनांदगांव, कुल लीज क्षेत्र 3.238
 हेक्टेयर, मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) क्षमता - 1,800 घनमीटर (ईट निर्माण
 इकाई क्षमता 15,00,000 नग) प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरण स्वीकृति में दी जाने वाली
 शर्तें

1. यदि खदान खनिज विभाग द्वारा अधिसूचित किसी क्लस्टर में है, तो पर्यावरण स्वीकृति मान्य नहीं होगी।
2. उत्खनन क्षेत्र 3.238 हेक्टेयर से अधिक नहीं होगा। इसी प्रकार खदान से अधिकतम मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) क्षमता - 1,800 घनमीटर (ईट निर्माण इकाई क्षमता 15,00,000 नग) प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा। लीज क्षेत्र की सीमाओं का सीमांकन कराकर पक्के मुनारे लगाया जाए।
3. पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा जारी ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के तहत रहेगी।
4. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा जारी ओएम दिनांक 24/06/2013 के अनुसार किसी सिविल स्ट्रक्चर से कम से कम 15 मीटर की दूरी छोड़कर उत्खनन क्षेत्र की परिधि सुनिश्चित किया जाए। फिक्स चिमनी से चारों तरफ उत्खनन क्षेत्र की सीमा कम से कम 15 मीटर दूर सुनिश्चित किया जाए। भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा जारी ओएम दिनांक 24/06/2013 में मिट्टी उत्खनन हेतु निर्धारित गाईड-लाइन का पालन सुनिश्चित किया जाए।
5. उत्खनन की अधिकतम गहराई 2 मीटर से अधिक नहीं होगी। उत्खनन प्रक्रिया भू-जल स्तर के उपर असंतृप्त प्रभाग में की जाएगी एवं उत्खनन प्रक्रिया भू-जल स्तर के नीचे किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाए।
6. खदान से उत्पन्न जल एवं घरेलू दूषित जल (यदि कोई हो), के उपचार की उचित एवं पर्याप्त व्यवस्था किया जाए। औद्योगिक प्रक्रिया एवं खदान से उत्पन्न किसी भी प्रकार से दूषित जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए, अपितु इसे प्रक्रिया में अथवा वृक्षारोपण हेतु पुनःउपयोग किया जाए। घरेलू दूषित जल के उपचार के लिये सैप्टिक टैंक एवं सोकपीट की व्यवस्था किया जाए एवं किसी नदी अथवा सतही जल स्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए। दूषित जल एवं वर्षाजल का जल आपस में न मिलने देने हेतु भी व्यवस्था की जाए। उपचारित दूषित जल की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा अधिसूचित मानक अथवा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा अधिसूचित मानक (जो भी कठोर हो) के अनुसार सुनिश्चित किया जाए।

7. भू-जल के उपयोग हेतु केन्द्रीय भू-जल बोर्ड से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त किया जाए। (यदि आवश्यक हो)
8. ईट उत्पादन हेतु फिक्सड चिमनी आधारित ईट भट्टे की स्थापना किया जाए। ईट भट्टे की चिमनी से पार्टिकुलेट मेटर उत्सर्जन की मात्रा एवं चिमनी की ऊंचाई भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा निर्धारित मानक अनुसार सुनिश्चित किया जाए। खनिज उत्खनन के विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन का नियंत्रण प्रभावी एवं नियमित रूप से किया जाए। पहूँच मार्ग, रैम्प, संग्रहण क्षेत्र, भराई एवं अन्य डस्ट उत्सर्जन बिन्दुओं पर जल छिड़काव की व्यवस्था किया जाकर इसका सतत संचालन /संधारण सुनिश्चित किया जाए।
9. ईट निर्माण में फ्लाई ऐश का उपयोग भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाए।
10. वाहनों एवं अन्य प्रक्रिया से उत्पन्न वायु प्रदूषण को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत विनिर्दिष्ट मानकों (जो भी कठोर हो) के अनुरूप रखा जाएगा। उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिये।
11. ईट निर्माण में ताप विद्युत संयंत्रों से उत्पन्न राख का उपयोग भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा फ्लाई ऐश के उपयोग हेतु जारी अधिसूचना के प्रावधानों के अनुसार किया जाए। ईट भट्टे से उत्पन्न राख का पुनः उपयोग ईट निर्माण में किया जाए। ठोस अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न ईट के टुकड़ों आदि को भू-भरण हेतु उपयोग किया जाए।
12. उत्खनन के दौरान हटाई गई उपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) का उपयोग ईट निर्माण में उपयुक्त नहीं होने पर उत्खनन हेतु उपयोग में नहीं आने वाली भूमि के पुनः उद्धार हेतु अथवा बाहरी ओवरबर्डन को स्थिर (स्टेबिलाइज) करने में किया जाए। जहां पर उपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) को खनन प्रक्रिया के साथ-साथ (कॉन्करेंटली) उपयोग किया जाना संभव न हो, तब इसे पृथक से भण्डारित कर भविष्य में उपयोग हेतु रखा जाए।
13. ओवरबर्डन एवं अनुपयोगी मिट्टी को उचित प्रकार से सुरक्षित रखा जाए ताकि भण्डारित पदार्थ आस-पास की भूमि पर विपरीत प्रभाव न डाल सके एवं खनन के पश्चात बने गड्ढों में पुनः भरण (बैंक फिलिंग) हेतु भूमि का मूल उपयोग अथवा वांछित वैकल्पिक उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। भण्डारित डम्प की ऊंचाई 03 मीटर तथा स्लोप 45 डिग्री से अधिक न हो। ओवरबर्डन डम्प का क्षरण रोकने हेतु वैज्ञानिक तरीके से वृक्षारोपण किया जाए।
14. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि खनन प्रक्रिया से उत्पन्न सिल्ट लीज क्षेत्र के आस-पास के सतही जल स्रोतों में प्रवाहित न हो। इसे रोकने हेतु माईन पीट, डम्प क्षेत्र, ईट भट्टा क्षेत्र में रिटेनिंग वॉल /गारलेण्ड ड्रेन की व्यवस्था की जाए।

15. मिट्टी एवं ईट का परिवहन तारपोलिन अथवा अन्य उपयुक्त माध्यम से ढके हुये वाहन से किया जाए, ताकि मिट्टी अथवा ईट वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।
16. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य किया जाए:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
32	2%	0.64	Following activities at Nearby Government Primary School Village- Saliha	
			Rain Water Harvesting System	0.32
			Running water facility for Toilets	0.20
			Plantation	0.12
			Total	0.64

17. सी.ई.आर. के तहत निर्धारित कार्यवाही 03 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए।
18. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उत्खनन हेतु निषिद्ध क्षेत्र (चारों तरफ 1 मीटर चौड़ी बेल्ट), हॉल रोड, ओवरबर्डन डम्प आदि में स्थानीय प्रजाति के 420 वृक्षों तथा नदी की तरफ छोड़े गये गैर माईनिंग क्षेत्र में 2770 नग मिश्रित प्रजाति के पौधे का सघन वृक्षारोपण किया जाए। हरित पट्टी का विकास केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मार्गदर्शिका के अनुसार किया जाए।
19. प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2021 में कम से कम 200 पौधे प्रति हेक्टेयर लीज क्षेत्र के अनुसार बड़, पीपल, नीम, करंज, सीसू, आम, इमली, अर्जुन, सीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के 650 पौधों का रोपण खदान के खुले क्षेत्र में किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा कांटेदार तार के बाड़ अथवा ट्री गार्ड का उपयोग) किया जाए। स्थल उपलब्ध नहीं होने की दशा में संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा चिन्हीत क्षेत्र में उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए। वृक्षारोपण नहीं करने पर जारी पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकती है।
20. वृक्षारोपण का रख-रखाव आगामी 3 वर्ष तक सुनिश्चित करते हुये मृत पौधों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए।
21. किये गये वृक्षारोपण की पुष्टी हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं फोटोग्राफ्स अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये छत्तीसगढ़

पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस. ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

22. उत्खनन क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण न हो, यह सुनिश्चित किया जाए।
23. उत्खनन की प्रक्रिया इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि वनस्पतियों एवं जीव-जन्तुओं पर कम से कम दुष्प्रभाव हो।
24. मिट्टी उत्खनन छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के प्रावधानों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के अनुसार किया जाए।
25. कार्य स्थल पर यदि कोम्पिंग श्रमिक कार्य पर लगाये जाते हैं तो ऐसे श्रमिकों के आवास उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप में हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात हटाया जा सके।
26. श्रमिकों के लिए खनन स्थल पर स्वच्छ पेयजल चिकित्सकीय सुविधा, मोबाइल टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।
27. श्रमिकों का समय-समय पर आक्यूपेशनल हेल्थ सर्विलेंस कराना आवश्यक है।
28. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।
29. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना, जिसमें मिट्टी उत्खनन सम्मिलित है, में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस. ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
30. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की रूपरेखा में परिवर्तन अथवा विनिर्दिष्ट शर्तों के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा में किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा उत्सर्जन / निरस्त्राव के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
31. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 02 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस-पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 07 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय की वेबसाइट www.envfor.nic.in एवं एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ की वेबसाइट www.seiaacg.org पर भी किया जा सकता है।
32. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, भिलाई-दुर्ग, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं

क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर को प्रेषित किया जाए।

33. क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मॉनिटरिंग की जाएगी। इस हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय-समय पर प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों एवं आवेदन का पूर्ण सेट क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर को प्रेषित किया जाए।
34. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार / क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर / केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों / अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए।
35. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974, वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये नियमों, परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंध एवं सीमापार संवहन) नियम, 2016 तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।
36. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ ने प्रस्तुत विवरण में कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्त निर्दिष्ट करने बाबत निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
37. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला-व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर / तहसीलदार कार्यालय में दिवस की अवधि के लिये प्रदर्शित करेगा।
38. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरुद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिये गये प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकेगी।

सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी.

अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.